"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अप्रैल 2007 — चैत्र 16, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2007

क्रमांक ई-1-01/2007/एक/2.—श्री नारायण सिंह, भा. प्र. से. (1977) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं श्रम विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक श्रम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री नारायण सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. डी. पी. राव श्रम आयुक्त के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2007

क्रमांक 2674/डी-869/21-ब/छ. ग./2007.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1949/डी-746/21-ब/छ. ग./07 दिनांक 27-2-2007 को अतिष्ठित करते हुए तथा छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सिफारिश पर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों पर "फास्ट ट्रेक कोर्ट्स" का गठन तथा स्थापना करती है जो संबंधित पीठासीन अधिकारी के उक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगी :-

अनु. क्र.	जिले का नाम	स्थान का नाम	फास्ट ट्रेक कोर्ट की संख्या
1.	जगदलपुर	कोंडागांव	1
2.	कांकेर	भानुप्रतापपुर	1
3.	बिलासपुर	बिलासपुर	2
		मुंगेली	1
		पेंड्रारोड	1
4.	जांजगीर	जांजगीर	1
5.	कोरबा	कोरबा	1
6.	दुर्ग	दुर्ग	6
		बालोद	1
7.	रायगढ़	रायगढ़	2
8.	रायपुर	रायपुर	6
9.	धमतरी	धमतरी	1
10.	कबीरधाम (कवर्धा)	कवर्धा	1
11.	सरगुजा (अंबिकापुर)	अंबिकापुर	1
		सूरजपुर	1
		प्रतापपुर	1
		रामानुजगंज	2
12.	कोरिया (बैकुंठपुर)	मनेन्द्रगढ़	1
		योग	31

Raipur, the 21st March 2007

No. 2674/D-869/21-B/C. G./2007.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958) and in supersession of the Notification No. 1949/D-746/21-B/C. G./2007, Raipur dated 27-2-2007 of this department, the State Government, on the recommendations of the High Court of Chhattisgarh, hereby constitutes and establishes "Fast Track Court" Specified in Schedule below with effect from the date of the presiding Judge take over charge at these places :-

SCHEDULE

S. No.	Name of District	Name of Place	No. of Fast Track Courts
1.	Jagdalpur	Kondagaon	1
2.	Kanker	Bhanupratappur	1
3.	Bilaspur	Bilaspur	2
		Mungeli	1
		Pendra Road	1
4.	Janjgir	Janjgir	1
5.	Korba	Korba	1
6.	Durg	Durg	6
		Balod	1
7.	Raigarh	Raigarh	2
8.	Raipur	Raipur	6
9.	Dhamtari	Dhamtari	1
10.	Kabirdham (Kawardha)	Kawardha	1
11.	Sarguja (Ambikapur)	Ambikapur	1
		Surajpur	1
		Pratappur	1
		Ramanujganj	2
12.	Koriya (Baikunthpur)	Manendragarh	1
		Total	**31**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2007

क्रमांक 567/2357/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक 2610/2357/32/2006 दिनांक 29-12-2006 द्वारा कोरबा विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

कोरबा विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रिसदी	296/4	1.73	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
			11.84	उद्यान	
			2.43	मार्ग	
		296/5	2.00	उद्यान	
2.	खरमोरा	296/5	5.35	वाणिज्यिक, उद्यान	
			3.57	मार्ग	
		योग	**26.92**		
		-	**6.00**	**मार्ग**	
		कुल योग	**20.92 एकड़**		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2007

क्रमांक 643/30/1/सं./2007.—अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों एवं उनके परिवारों को कलाकार कल्याण कोष से सहायता देने हेतु गठित कार्यकारी समिति में डॉ. देवेश दत्त मिश्र, वरिष्ठ रंगकर्मी एवं नाटककार, मेसनेट 12, सेक्टर-1 शंकर नगर छत्तीसगढ़, रायपुर को सदस्य मनोनीत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. राधाकृष्णन, प्रमुख सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2002

क्रमांक/3687/1056/2002/55.—छत्तीसगढ़ सह-चिकित्सकीय परिषद् अधिनियम-2001 (क्रमांक-25 सन् 2001) की धारा-49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अनुसूची में :-

1. अनुसूची में, अनुक्रमांक-31 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक 32 तथा 33 अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात :-

"32. कम्यूनिटी मिडवाइफरी.
33. सह-चिकित्सा प्रमाण-पत्र."

Raipur, the 26th September 2007

No. 3687/1056/2002/55.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Chhattisgarh Sah-Chikitsakiya Parishad Adhiniyam, 2001 (No. 25 of 2001), the State Government, hereby makes the following amendment in Schedule of the said Act :-

AMENDMENT

In the said Schedule :-

1. In Schedule, after serial number 31, the following serial number 32 and 33 shall be inserted, namely :-

"32. Community Midwifery.
33. Paramedical Certificate."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

गृह (सामांन्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

क्रमांक एफ-9-14/दो/गृह/07.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जनवरी, 2007 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया प्रश्नपत्र -1 (बिना पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री अनिल भास्करन	वनपाल

(1)	(2)	(3)
2.	श्री राकेश चौबे	उप वन क्षेत्रपाल

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

क्रमांक एफ-9-16/दो/गृह/07.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जनवरी, 2007 को प्रश्न पत्र "कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुनील चौधरी	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
2.	कु. मीना मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर
3.	श्री गोपाल वर्मा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
4.	कु. नीलमणी टोप्पो	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

क्रमांक एफ-9-26/दो/गृह/07.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जनवरी, 2007 को प्रश्न पत्र "न्यायिक शाखा" (बिना पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री डी. रविशंकर	उप पुलिस अधीक्षक

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

क्रमांक एफ-9-37/दो/गृह/07.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जनवरी, 2007 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री नवीद शुजाउद्दीन	आई. एफ. एस.

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2007

क्रमांक एफ-9-42/दो/गृह/07.—ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "लेखा व स्थापना प्रश्न पत्र-4" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री सी. एस. खान्डे	सहायक अभियंता (वि. सु.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2007

क्रमांक एफ-5-58/दो/आठ-परि./06.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा-88 की उपधारा-6 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ राजपत्र 03 नवंबर-2006 के पृष्ठ क्रमांक-2118, पर छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश राज्य के मध्य पारस्परिक करार का प्रकाशन कर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये गये थे.

आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस नियत थी. नियत तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई. आपत्तियों पर सुनवाई हेतु दिनांक 27-01-2007 निर्धारित की गई थी. सुनवाई के समय कुछ बस संचालकों द्वारा सुझाव दिये गये, उसकी पूर्ति हेतु प्रस्तावित पारस्परिक यातायात करार में पूर्व से प्रावधानित होने के कारण उनका निराकरण स्वमेव हो गया. अत: प्राप्त सुझाव पर पृथक से विचार नहीं किया गया.

अत: अब राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश राज्यों मे मध्य पारस्परिक परिवहन करार का अंतिम प्रकाशन निम्नानुसार किया जाता है :-

छत्तीसगढ़ सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के मध्य पारस्परिक परिवहन करार

यह करार दिनांक 26 मई 2006 तदनुसार शक संवत् 1928 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जिन्हें आगे "छत्तीसगढ़ सरकार" कहा गया है, और जिसमें पदासीन उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है) प्रथम तथा मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "मध्यप्रदेश सरकार" कहा गया है, और जिसमें उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है.

चूंकि प्रदेश में त्वरित आर्थिक विकास तथा छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश राज्य की समीपस्थता को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन समझा गया कि उक्त दोनों राज्यों के बीच यात्रियों और माल की लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाये, और उनके प्रचलन को विनियमित समन्वित और नियंत्रित किया जाये, इसलिए उक्त दोनों पक्ष परिस्थितियों एवं वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप एक करार करने के लिए सहमत है.

अतएव, अब उक्त पक्षों द्वारा उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :-

1. यह पारस्परिक परिवहन करार दिनांक 26 मई 2006 से प्रवृत्त होगा, तथा उस समय तक विद्यमान रहेगा जब तक कि दोनों राज्यों के बीच नया करार या उसका पुनर्विलोकन न हो जाये, या दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा दूसरी पक्ष को छ: मास की सूचना देखकर विद्यमान करार को विखण्डित न कर दिया जाये.

2. **मालयान के अनुज्ञा-पत्र-**

(एक) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन मालयान के अनुज्ञा-पत्र- अन्य राज्य के सम्पूर्ण भाग के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा जारी मालयानों की संख्या पर निर्बंधन के बिना मालयान के लिए अनुज्ञा-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर, संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा एकल बिन्दु कराधान के आधार पर किया जायेगा, प्रतिहस्ताक्षर निम्नलिखित शर्तों के अधीन किये जायेंगे -

(क) यदि करारकर्ता राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं कराया गया है तो एक बिन्दु कर का लाभ नहीं मिलेगा.

(ख) मालयान अनुज्ञा-पत्र, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-79 में विनिर्दिष्ट और संबंधित राज्य में प्रवृत्त राज्य मोटरयान नियमावली के अधीन ऐसी शर्तें, जिन्हें संबंधित परिवहन प्राधिकारी अधिरोपित करने के लिए उचित समझें, के अध्यधीन होंगे.

(ग) यह कि प्रतिहस्ताक्षर द्वारा आच्छादित यान का उपयोग व्यतिकारी राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं पर माल लादने और उतारने के लिए नहीं किया जायेगा, अर्थात् ऐसे यान, व्यतिकारी राज्य के क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से परिवहन कारोबार किये जाने से प्रतिषिद्ध होंगे.

(दो) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-87 के अधीन मालयान (अस्थायी अनुज्ञा-पत्र) एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना और उनकी संख्या पर निर्बंधन के बिना अनधिक 30 दिवस की अवधि के लिए विधिमान्य अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी किये जा सकते हैं. इन अनुज्ञा-पत्रों द्वारा आच्छादित यानों पर अन्य राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य माल नहीं लादा और उतारा जायेगा, उन फेरों की संख्या पर कोई निर्बंधन नहीं होगा जो अनुज्ञा-पत्र को विधिमान्यता के दौरान यानों द्वारा निष्पादित किया जा सकते हैं. यह भी करार पाया कि प्रचालक किन्हीं अन्य शर्तों का जिन्हें परिवहन प्राधिकारी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 (2) के अधीन अधिरोपित करना उचित समझे पालन करेगा.

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 (1) (घ) के अधीन ऐसे स्थायी अनुज्ञा-पत्रों के नवीनीकरण के लम्बित रहने के दौरान जारी किये गये अनुज्ञा-पत्रों के आधार पर पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर चलाये जा रहे मालयानों पर एक बिन्दु कर आरोपित होगा, तथा शेष अस्थायी अनुज्ञा-पत्र द्वि बिन्दु कर के आधार पर जारी किये जायेंगे.

3. **ठेका गाड़ी ओमनी बस-**

(एक) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-74 के अधीन मोटर कैब अनुज्ञा-पत्र

एकल बिन्दु कर आधार पर अन्य राज्य के सम्पूर्ण भाग के लिए प्रत्येक राज्य से सम्बन्धित मोटर कैब ठेका गाड़ियों की संख्या पर निर्बन्धन के बिना मोटर कैब गाड़ियों के अनुज्ञा-पत्रों प्रतिहस्ताक्षर संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर दूसरे राज्य के परिवहन अधिकारी द्वारा किया जायेगा. प्रतिहस्ताक्षर इन शर्तों के अध्यधीन होंगे कि यान दूसरे राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य किसी यात्री को नहीं चढ़ाये या उतारेगा. एक बिन्दु कर की सुविधा प्रतिहस्ताक्षर होकर चलायी जा रही यानों को ही प्राप्त होगी.

(एक) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 (1) के अधीन अस्थायी ठेका गाड़ी परमिट

अनुच्छेद 9 में उपबन्ध के अधीन, आवश्यकतानुसार एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा पारस्परिक करारकर्ता राज्य में विनिर्दिष्ट टर्मिनलों को जोड़ने वाले विनिर्दिष्ट मार्गो के लिए उस राज्य में द्विबिन्दु कर आधार पर प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना ठेका गाड़ी (ओमनी बस) के लिये अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी किए जा सकेंगे. ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र पर अन्य राज्यों के देय कर का संदाय इस करार के अनुच्छेद 8 में विहित रीति से किया जायेगा तथापि यदि किसी कारण से ऐसे राज्य द्वारा जारी अनुज्ञापत्र की वैधता अन्य राज्य के क्षेत्र में समाप्त हो जाती है तो ऐसे राज्य का परिवहन प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता में वह यान हो, आवश्यक फीस और करों को प्राप्त कर एक नया अनुज्ञापत्र जारी कर सकेगा. ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :-

(क) ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र पारस्परिक करारकर्ता राज्य में पन्द्रह दिन से अनधिक कालावधि के लिए विधिमान्य होंगे.

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट की गई बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा और न ही खड़े रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात किया जाएगा.

(ग) ठेका गाड़ी एक ही पक्ष द्वारा किराए पर ली जाएगी एकल वापसी यात्रा के लिए उपयोग की जाएगी.

(घ) ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र में बाहर जाने की तारीख तथा वापसी यात्रा की तारीख स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी. यदि किसी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र पर ठेका गाड़ी को लगाने वाला कतिपय पक्ष अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने के पश्चात् वापसी यात्रा की तारीख बदलवाना चाहता है तो वह ऐसे परिवहन प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता में उस समय ठेका गाड़ी हो, इस बाबत लिखित रूप से अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करेगा.

(दो) ठेका गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र (मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अधीन विशेष अनुज्ञा-पत्र) :-

ये अनुज्ञा-पत्र, पर्यटकों की आवश्यकता के अनुसार दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना प्रत्येक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा एकल बिन्दु कर आधार पर जारी किये जा सकते हैं. अनुज्ञा-पत्रों में प्रारम्भ और वापसी यात्रा को दर्शाते हुए यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम अन्तर्विष्ट होगा. अनुज्ञा-पत्र में वह क्रम जिसमें ऐसे प्रत्येक स्थान पर आगमन और प्रस्थान के समुचित दिनांक के उपदर्शन सहित विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया जायेगा और मोटर कैब से भिन्न गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों की, अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित सूची भी अन्तर्विष्ट होगा.

4. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-72 के अधीन मंजिली गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र

(एक) छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच अन्तर्राज्यिक मार्गों पर मंजिली गाड़ी चलाने के सम्बन्ध में पारस्परिक करार, अनुलग्नक "क" के अनुसार होगा. प्रतिबंध यह होगा कि यदि संलग्नक "क" का कोई मार्ग मध्यप्रदेश राज्य द्वारा अधिसूचित है व राज्य की योजना प्रभावी है, तब मध्यप्रदेश द्वारा योजना के प्रावधान के अनुरूप ही परमिट जारी किया जावेगा.

(दो) परन्तु यह भी कि मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम की समाप्ति के पश्चात् निगम (उपक्रम) के स्थान पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा नाम-निर्दिष्ट संचालकों को इन मार्गों पर पारस्परिक करार में निर्धारित फेरों व अनुज्ञाओं अनुसार चल सकेंगे.

(तीन) परन्तु यह भी कि परिशिष्ट "क" में उल्लिखित कोई मार्ग योजना से प्रभावशील है और यदि उसे उपान्तरण कर निजी संचालकों को छूट दी जाती है तो ऐसे मार्गों पर निजी संचालकों को संचालन की पात्रता होगी.

(चार) परन्तु यह और कि परिशिष्ट "क" में उल्लिखित यदि किसी मार्ग को किसी राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य के परिवहन निगम को अनन्य संचालन हेतु अधिसूचित किया जाता है तो वह मार्ग निजी प्रचालकों के लिए स्वत: प्रतिबंधित हो जाएगा.

(पांच) प्रत्येक अन्तर्राज्यिक मार्ग पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित फेरों की संख्या यथासम्भव प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले मार्ग की लम्बाई के अनुसार नियत की जायेगी. इस करार के प्रयोजन के लिए फेरा का तात्पर्य दैनिक एकल फेरा से है. अनुलग्नक "क" में उल्लिखित मार्गों का तात्पर्य उनमें उल्लिखित स्थानों से होते हुए दोनों राज्यों में पड़ने वाले दो टरमिनलों को जोड़ने वाले सबसे कम दूरी के सीधे मार्ग से है. उक्त अनुलग्नक में प्रदर्शित मार्ग के नाम या उसकी लम्बाई में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को व्यतिकारी राज्यों के मध्य तत्परता से पत्र-व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जाएगा और उसे करार के किसी उपान्तर के रूप में नहीं समझा जायेगा.

(छ:) अनुलग्नक "क" में उल्लिखित मार्गों की समय सारिणी, दोनों राज्यों के अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा नियत की जाएगी.

(सात) किसी राज्य में स्थित भाग के लिए यात्री किराया, अपने-अपने राज्य द्वारा नियत किये गये दरों के अनुसार प्रभारित किये जायेंगे.

(आठ) पारस्परिक करार के अधीन आने वाले दोनों राज्यों की मंजिली गाड़ियों के अनुज्ञा-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर, एकल बिन्दु कराधान आधार पर किया जायेगा. एकल बिन्दु कर की सुविधा प्रतिहस्ताक्षर होकर चलायी जा रही यानों को ही अनुमन्य होगा.

(नौ) यदि किसी कारण से अनुज्ञा-पत्र के, उसकी समाप्ति के पूर्व, नवीनीकरण के लिए किसी आवेदन-पत्र पर विनिश्चय करना सम्भव न हो तो व्यतिकारी राज्य को सूचित करने के अधीन चार माह तक की अवधि के लिए गृह राज्य मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-

87 (1) (घ) के अधीन अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी कर सकता है और नीचे दिये गये परन्तुक के अध्यधीन ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों पर व्यतिकारी राज्य का प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा और मोटरयान को एकल बिन्दु कराधान आधार पर चलाने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा.

परन्तु अनुज्ञा-पत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-81 (2) के अधीन नवीनीकरण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय के भीतर सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो.

(दस) यदि पारस्परिक यातायात समझौते के अन्तर्गत किसी मार्ग पर परमिट प्राप्त करने के उपरान्त किसी राज्य के निगम अथवा निगम से भिन्न संचालक द्वारा किसी दूसरे राज्य में संचालन नहीं किया जा रहा है, तो जिस अवधि में संचालन नहीं हुआ है, उस अवधि का कर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य में केवल उसी दशा में देय नहीं होगा जब प्रतिहस्ताक्षरकर्ता राज्य के कराधान अधिनियम में विहित प्रावधानानुसार अनुज्ञा-पत्र/प्रतिहस्ताक्षर पत्र समर्पित कर दिया गया हो.

(ग्यारह) नये मार्गों पर संचालन की व्यवस्था करने तथा विद्यमान मार्गों पर फेरों की संख्या में वृद्धि करारकर्ता राज्यों के सचिव/प्रमुख सचिवों द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरी करने के पश्चात् की जा सकेगी तथा उनके द्वारा की गयी कार्यवाही को इस करार का अंग माना जावेगा.

(बारह) प्रारम्भिक समय सारिणी का निर्धारण अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा बिल्कुल अनन्तिम आधार पर किया जावेगा जो अधिकतम चार मास की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा और सेवा का तत्काल प्रचालन करने के लिये ऐसा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा. इस कालावधि के दौरान प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञा-पत्र मंजूरी करने वाले प्राधिकारी के परामर्श से समय-सारिणी को अन्तिम रूप देगा.

(तेरह) दोनों राज्यों के बसों का संचालन बिन्दु एक ही होगा अर्थात् मध्यप्रदेश राज्य की बसों का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य के बस स्टैण्डों तथा छत्तीसगढ़ राज्य की बसों का संचालन यथास्थित मध्यप्रदेश राज्य के बस स्टैण्डों से होगा.

(चौदह) स्थायी/अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी होने/नवीनीकृत होने करने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर परमिटधारी द्वारा सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकार को प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन करना होगा अन्यथा स्वीकृति अनुज्ञा-पत्र निरस्त किया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण :-

(क) किसी मोटरयान के सम्बन्ध में शब्द एकल बिन्दु मोटरयान कर या शब्द एकल बिन्दु कर आधार से अभिप्रेत है. मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के अंतर्गत प्रतिहस्ताक्षरित श्रेणी के लिये निर्धारित-दर.

(ख) किसी मोटरयान के संबंध में शब्द "द्विबिन्दु कर आधार" से अभिप्रेत है दोनों राज्यों के कर/मोटरयान कर/अति. कर/ को सम्मिलित करते हुए सभी करों के संदाय का दायित्व.

5. **मुक्त जोन :-**

(क) प्रत्येक राज्य के सीमा बिन्दुओं पर या उनके निकट पड़ने वाले स्थानों पर यात्रियों और माल यातायात सुलभ बनाने की सुविधा के लिए यह आवश्यक और समीचीन समझा गया है कि दोनों राज्यों की सीमा के कतिपय बिन्दुओं पर मुक्त जोन के सृजन की व्यवस्था की जाय तथा मुक्त जोन सुविधाओं का लाभ उठाने वाले यानों के लिए, पारस्परिक करारकर्ता राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित नहीं होगा.

(ख) उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर यह करार किया गया कि अन्तर्राज्यीय मार्गों पर पड़ने वाले प्रत्येक राज्य के सीमा बिन्दुओं पर उनके निकट स्थित निम्नलिखित बिन्दुओं/क्षेत्रों/मार्गों, उनके सामने वर्णित शर्तों पर मुक्त जोन के रूप में घोषित किया जाता है :-

(1) अस्थाई अनुज्ञा-पत्रों या अस्थाई अनुज्ञा-पत्रों में समाविष्ट मालयानों या मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी एवं शिक्षा संस्था की बसों के लिए :-

(एक)	मध्यप्रदेश में अमरकंटक धार्मिक स्थल, उसके चारों ओर 15 कि. मी. अर्ध व्यास के साथ.	कबीरचबूतरा की ओर से आने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के उक्त मोटरयानों के लिए

(दो)	मध्यप्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय जीव उद्यान एवं उसके चारों ओर 20 कि. मी. अर्ध व्यास के साथ.	चिल्पी, वूपकार की ओर से आने वाले छत्तीसगढ़ से उक्त मोटरयानों के लिये.
(ग)	छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़	लॉजी अथवा सालेटेकरी की ओर से आने वाले छत्तीसगढ़ में उक्त मोटरयानों के लिये.
(तीन)	छत्तीसगढ़ में कबीरचबूतरा	अमरकंटक अथवा डिंडोरी की ओर से आने वाले मध्यप्रदेश में उक्त मोटरयानों के लिये.

(ग) सुविधाजनक तथा पर्याप्त परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से और उपरोक्त करार किये गये मुक्त होने का द्रुत विकास करने के लिये प्रत्येक राज्य द्वारा आवश्यकतानुसार संबंधित प्रवर्गों के अनुज्ञा-पत्र, अपने-अपने मुक्त ज़ोन में सेवाओं के अनन्यत: प्रचालन के लिये फेरों की संख्या पर किसी निर्बन्धन के बिना और पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकार के प्रतिहस्ताक्षर के बिना जारी किये जा सकेंगे. अन्य राज्य में मुक्त जोन सुविधा का लाभ उठा रहे प्रत्येक राज्य के मोटरयानों को उपरोक्त खण्ड के उपखण्ड (घ) में वर्णित सीमा तक पारस्परिक करारकर्ता राज्य के करों से छूट प्राप्त होगी, ऐसे यानों के अनुज्ञा-पत्र पर उसके मुख पृष्ठ पर जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से यह पृष्ठांकित किया जायेगा कि यान को पारस्परिक करार के निबंधन के अधीन अन्य राज्य के संबंधित मुक्त जोन में प्रचालन के लिये अनुज्ञात किया गया है.

(घ) हस्ताक्षरकर्ता दोनों राज्य, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 (1) के साथ पठित धारा 96 (2), (दस) के अधीन यह उपलब्ध करने के लिये कि पारस्परिक करारकर्ता राज्य में इस प्रकार मंजूर किये गये स्थायी अनुज्ञाओं या अस्थायी अनुज्ञा-पत्र, इस खण्ड में किये गये करार के अनुसार गृह राज्य के मुक्त जोन में प्रतिहस्ताक्षर के बिना विधिमान्य होंगे, उपर्युक्त नियम बनायेंगे.

6. कॉरीडोर मार्ग :-

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये कुछ मार्ग एक राज्य में प्रारम्भ और समाप्त होने वाले बिन्दुओं के बीच अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र के किसी छोटे भाग में से होकर जाते हैं. अतएव राज्य के मोटरयानों की, जो ऐसी मार्गों पर चलाये जाने के लिए अनुज्ञात हैं, सम्पूर्ण यात्रा पूरी करने के लिए दूसरी राज्य की उस छोटी सी पट्टी से होकर जाना पड़ेगा.

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 (1) के अधीन यह उपबन्धित है कि जहां किसी मार्ग के प्रारम्भ होने वाले बिन्दु और समाप्त होने वाले दोनों बिन्दु एक ही राज्य में स्थित हों किन्तु ऐसे मार्ग का भाग किसी दूसरे राज्य में पड़ता हो और ऐसे मार्ग की लम्बाई सोलह किलोमीटर से अधिक न हो, वहां अनुज्ञा-पत्र मार्ग के उस भाग के सम्बन्ध में जो उस अन्य राज्य में है, अन्य राज्य में इस बात के होते हुए भी कि ऐसे अनुज्ञा-पत्र पर उस दूसरे राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया गया है विधिमान्य होगा. उस खण्ड के प्रयोजनों के लिए सोलह किलोमीटर के अनधिक के इस छोटे से भाग को मुक्त कॉरीडोर के रूप में कहा गया है.

विधि के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए मुक्त कॉरीडोर सुविधा का लाभ उठाने वाले ऐसे यानों के अनुज्ञा-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अनुज्ञा-पत्रों को मोटरयान कर के प्रयोजनों के लिए उन अनुज्ञा-पत्रों के समान समझा जाएगा जिन्हें सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है और वे ऐकल बिन्दु कर के आधार पर अनुज्ञात होंगे. ऐसे मार्गों को समझौते में सम्मिलित हुआ माना जावेगा. परन्तु ऐसे मार्गों पर परमिट देने से पूर्व पारस्परिक करारकर्ता राज्य से मार्ग के औचित्य के सम्बन्ध में टिप्पणी प्राप्त की जावेगी जिसे परस्पर करारकर्ता राज्य द्वारा अस्थायी परमिट के निस्तारण के सम्बन्ध में 20 दिवस तथा स्थायी परमिट के संबंध में 45 दिवस के अन्दर अपनी टिप्पणी देनी होगी और यदि इस अवधि में कोई टिप्पणी नहीं दी जाती है तो यह माना जावेगा कि परस्पर करारकर्ता राज्य उस मार्ग के औचित्य के सम्बन्ध में सहमत है. ऐसे मार्गों पर जारी परमिटों की सूचना करारकर्ता राज्य एक दूसरे को आदान-प्रदान करेंगे. यद्यपि जहां कारीडोर की दूरी सोलह किलोमीटर से अधिक हो वहां ऐसे अनुज्ञा-पत्र पर करार के अनुसार ही प्रतिहस्ताक्षरित किए जायेंगे.

यह और भी करार पाया गया कि जब सभी पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा अन्य राज्य के मुक्त कॉरीडोर में वाहन प्रचालन के लिए स्वीकृत किये जाते हैं तो ऐसे अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से यह पृष्ठांकित किया जाएगा कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन अनुज्ञा-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित नहीं हैं. जारी करने वाला प्राधिकारी अन्य राज्य के उस प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी की, जिसके क्षेत्र में ऐसा मुक्त कारीडार आता है, ऐसे अनुज्ञा-पत्रों के विवरण प्रख्यापित करेगा जिससे कि उस राज्य के प्राधिकारी अनुज्ञा-पत्र धारकों से यथास्थिति यात्रीकर/मालकर/मोटरयान कर आदि

वसूल करने में समर्थ रहे. ऐसे मुक्त कॉरीडोर के सम्बन्ध में पारस्परिक करारकर्ता राज्य के करों की वसूली करने में अनुज्ञा-पत्र स्वीकृति करने वाला परिवहन प्राधिकारी समस्त सम्भवरीति में सहायता भी करेगा.

7. **करों के संदाय का ढंग-**

(क) अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अस्थाई अनुज्ञा-पत्र या विशेष अनुज्ञा-पत्र को जारी करने के पूर्व पारस्परिक करारकर्ता राज्य के समस्त कर अग्रिम रूप से भारतीय स्टेट बैंक के नाम पर लिखे गये डिमाण्ड ड्राफ्ट कर संग्रह केन्द्रों द्वारा संदत्त कर दिये गये हैं यद्यपि दोनों में कोई भी राज्य यथास्थिति चेक पोस्टों पर अपने करों की वसूली की अपेक्षा कर सकेगा.

(ख) प्रत्येक डिमाण्ड ड्राफ्ट का क्रमांक और रकम जिसके माध्यम से प्रचालक द्वारा अन्य राज्यों के करों को प्रेषित किया जा चुका है. अस्थायी अनुज्ञा-पत्र/विशेष अनुज्ञा-पत्र के मुख्य पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित की जाएगी.

(ग) समस्त अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों तथा विशेष अनुज्ञा-पत्रों की प्रतियां भारतीय स्टेट बैंक के नाम लिये गये डिमाण्ड ड्राफ्टों अन्य सुसंगत जानकारी के साथ निम्नलिखित निदर्शन-पत्र (प्रोफार्मा) में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को तुरन्त भेजी जायेगी और छत्तीसगढ़ की दशा में ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों/विशेष अनुज्ञा-पत्रों की प्रतियां मासिक अन्तराल पर डिमाण्ड ड्राफ्टों के साथ परिवहन आयुक्त रायपुर छत्तीसगढ़ को भेजी जायेगी.

अनुक्रमांक	यान के स्वामी का नाम तथा पता	अनुज्ञा-पत्र क्रमांक तथा यान क्रमांक	यान का सकल यान भार तथा यान की क्षमता	अनुज्ञा-पत्र की वैधता तारीख, से	तक	बैंक ड्राफ्ट की संख्या और धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

8. **अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए सामान्य सहमति-**

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (7) उपबंधित करती है कि धारा 88 (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी एक प्रदेश का प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी धारा 87 के अधीन अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जो दूसरे राज्य में विधिमान्य होगा उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी की सहमति से साधारणत: या विशिष्ट अवसर के लिए जारी कर सकेगा.

विधि के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए यह करार पाया गया है कि दोनों राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकारी इस करार के खण्ड 3, 5 तथा 7 के अनुसरण में आवश्यकतानुसार मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 (1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना मालयान और ठेका गाड़ियों (ओमनी बसों और मोटर कैबों) के लिए अस्थाई अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (7) के अधीन सामान्य सहमति प्रदान करते हैं.

9. **सामान्य**

(एक) व्यतिकारी राज्य, इस करार के अनुसार अन्तर्राज्यिक मार्गों पर चल रहे यानों के सम्बन्ध में दोनों राज्यों में से प्रत्येक की सुसंगत नियमावली के अधीन जारी कर, टोकनों, चालक और परिचालक अनुज्ञप्ति परिवहन यान प्राधिकार और स्वस्थता प्रमाण-पत्र को मान्यता प्रदान करेंगे.

(दो) यह करार ऐसे समय तक विधिमान्य रहेगा जब तक दोनों राज्यों के बीच कोई नया करार नहीं हो जाता है. तथापि यह करार किसी भी राज्य द्वारा छह माह की नोटिस जारी करने के पश्चात् विखण्डित किया जा सकता है. यह करार प्रत्येक वर्ष या दोनों में से किसी भी राज्य के परिवहन प्राधिकारी के अनुरोध पर पुनरीक्षण के लिए खुला रहेगा.

(तीन) बकाया वसूली- दोनों राज्यों द्वारा जारी ऐसी अनुज्ञायें जिसका प्रतिहस्ताक्षर परस्पर राज्यों द्वारा किया गया है और यदि ऐसे अनुज्ञाधारी अन्य राज्य के करों का नियमानुसार भुगतान न करने पर बकायादार हो जाते हैं एवं वाहन का संचालन बन्द कर देते हैं, ऐसे बकायादारों से कर की वूसली में दोनों राज्य एक दूसरे राज्यों के बकाया करों की वूसली में सहयोग करेंगे.

(चार) पारस्परिक करार के अंतिम होने के पश्चात् नवनिर्मित उद्भूत होने वाले मार्गों तथा परिवहन की बढ़ती आवश्यकता को दृष्टिगत ऐसे मार्गों को समझौते में सम्मिलित करने के संबंध में दोनों राज्यों के प्रमुख सचिव आपसी सहमति से निर्णय ले सकेंगे तथा इस प्रकार लिया गया निर्णय इस समझौते का अंश समझा जावेगा.

(पांच) स्थाई तथा अस्थाई यात्री वाहनों की अनुज्ञा के संबंध में दोनों राज्यों द्वारा यह भी करार पाया गया कि परस्पर जारी किये जाने वाले अनुज्ञाओं के मार्ग की कुल दूरी प्रथम से द्वितीय बिन्दु तक 100 किलोमीटर से ज्यादा हो तो ऐसी अनुज्ञा 35+2 से अधिक की बैठक क्षमता वाली यात्री वाहनों को ही स्वीकृत किये जायेंगे, ताकि यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा का ध्यान रखा जा सके.

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने प्रथम ऊपर उल्लिखित दिनांक को इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं.

हस्ता./-
(एम. के. राय)
प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
मध्यप्रदेश सरकार.

हस्ता./-
(वाय. के. एस. ठाकुर)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग,
छत्तीसगढ़ सरकार.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से

साक्षी

हस्ता./-
(एन. के. त्रिपाठी)
परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से

साक्षी

हस्ता./-
(बी. एल. ध्रुव)
सहायक परिवहन आयुक्त
छत्तसीगढ़.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

परिशिष्ट "अ"

क्रमांक	मार्ग	दूरी कि. मी. में			प्रस्तावित फेरों की संख्या		अनुज्ञा-पत्रों की निर्धारित संख्या		कुल कि. मी. संचालित		टिप्पणी
		छत्तीसगढ़	मध्यप्रदेश	कुल कि. मी.	छत्तीसगढ़ राज्य के लिए	मध्यप्रदेश राज्य के लिए	छत्तीसगढ़ राज्य के लिए	मध्यप्रदेश राज्य के लिए	छत्तीसगढ़ द्वारा मध्यप्रदेश में संचालन	मध्यप्रदेश द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	दुर्ग से रजेगांव व्हाया धमधा खैरागढ़, लांजी	88	72	160	02	02	01	01	144	176	
2.	सिवनी से रायपुर व्हाया कटंगी, बारासिवनी, बालाघाट, बैहर.	128	215	343	04	04	04	04	860	512	
3.	रायपुर से शहडोल व्हाया कोटा, केंवची, अमरकंटक.	235	110	345	04	02	04	02	440	470	
4.	बिलासपुर से जबलपुर व्हाया मुंगेली, पंडरिया, चिल्फी, मंडला.	113	228	341	02	04	02	04	456	452	
5.	कोरबा से जबलपुर व्हाया चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, पण्डरिया, चिल्फी, मण्डला.	235	228	463	02	02	02	02	456	470	
6.	पेण्ड्रारोड (गोरिल्ला) से डिंडोरी व्हाया कबीरचबूतरा, केंवची.	36	93	129	02	04	01	02	186	144	
7.	मनेन्द्रगढ़ से डिंडोरी व्हाया राजनगर, अनूपपुर, गाड़ासराई.	10	153	163	02	04	01	02	306	40	
8.	रींवा से मनेन्द्रगढ़ व्हाया गोविन्दगढ़, व्योहारी, शहडोल.	10	295	305	02	02	02	02	590	20	
9.	रींवा से अंबिकापुर व्हाया मनेन्द्रगढ़, गोविन्दगढ़, व्योहारी, शहडोल.	123	295	418	02	02	02	02	530	246	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10.	रायगढ़ से रींवा व्हाया पत्थलगांव, अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़, गोविन्दगढ़, व्योहारी, शहडोल.	336	295	631	02	02	02	02	590	672	
11.	मंडला से कवर्धा	60	95	155	06	10	03	05	570	600	
12.	मंडला से रायपुर व्हाया चिल्फी, कवर्धा, बेमेतरा.	177	95	272	06	08	03	04	570	1416	
13.	जबलपुर से रायपुर व्हाया मंडला, चिल्फी, कवर्धा.	177	192	369	04	06	04	06	768	1062	
14.	शहडोल से जनकपुर व्हाया जयसिंग नगर	16	81	97	02	02	01	01	162	32	
15.	दुर्ग से जबलपुर व्हाया बेमेतरा, कवर्धा, मंडला	197	192	389	02	02	02	02	384	394	
16.	रायपुर से जबलपुर व्हाया गोंदिया, सिवनी	136	274	506	02	02	02	02	548	272	महाराष्ट्र 96
17.	मलाजखण्ड से दुर्ग व्हाया सालेटेकरी, धमधा	106	40	146	04	04	02	02	160	424	
18.	अम्बिकापुर से बेढ़न व्हाया प्रतापपुर, वाड्रफनगर, बलंगी.	152	23	175	04	02	02	01	92	304	
19.	रामानुजगंज से बेढ़न व्हाया वाड्रफनगर, बलंगी	117	23	140	04	02	02	01	92	46	
20.	शहडोल से कोटाड़ोल व्हाया जनकपुर, भगवानपुर.	47	80	127	04	04	02	02	320	188	
21.	मोहगांव से दुर्ग व्हाया सालेटेकरी, गढ़ई, धमधा	115	40	155	04	06	02	03	160	690	
22.	मनेन्द्रगढ़ से अमरकंटक व्हाया राजनगर, मरवाही, पेड्रा, केंवची.	10	90	100	04	04	02	02	360	40	
23.	भानुप्रतापपुर से बैहर व्हाया दल्ली, बालोद, राजनांदगांव, गढ़ई, सालेटेकरी.	210	59	269	06	02	06	02	354	420	
24.	दुर्ग से बालाघाट व्हाया धमधा, सालेटेकरी	120	128	248	06	04	03	02	768	480	
25.	दुर्ग से बैहर व्हाया सालेटेकरी, धमधा	120	55	175	04	02	02	01	220	240	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26.	रायपुर ने मण्डला व्हाया कुम्हारी, धमधा, साल्हेटेकरी, बैहर.	131	168	299	04	04	04	04	672	524	
27.	रायपुर से जबलपुर व्हाया कुम्हारी, धमधा, साल्हेटेकरी, बैहर, मण्डला, निवास, कुण्डम.	131	255	386	02	04	02	04	510	524	
28.	पेण्ड्रारोड से अनूपपुर व्हाया अमरकंटक	70	55	125	06	06	03	03	330	420	
29.	पेण्ड्रारोड से चाका व्हाया मरवाही, राजनगर, बिजुरी, कोतमा.	67	53	120	02	02	01	01	106	134	
30.	पेण्ड्रारोड से कोतमा व्हाया मरवाही, राजनगर, बिजुरी.	67	38	105	10	06	05	03	380	402	
31.	पेण्ड्रारोड से धुरवासीन व्हाया मरवाही, राजनगर, बिजुरी, कोतमा.	67	57	124	04	04	02	02	228	268	
32.	पेण्ड्रारोड, से केल्हारी व्हाया मरवाही, राजनगर, बिजुरी.	67	54	121	04	04	02	02	216	268	
33.	पेण्ड्रारोड से करंजीया व्हाया केंवचीं, अमरकंटक.	40	20	60	04	04	04	04	80	160	
34.	शहडोल से पेंड्रा व्हाया बैंकटनगर	26	88	114	02	06	01	03	176	156	
35.	शहडोल से पेंड्रारोड व्हाया बुढ़ार, जैतहरी, बैकंटनगर.	20	88	108	02	08	01	04	176	160	
36.	शहडोल से मनेन्द्रगढ़ व्हाया बुढ़ार, अनूपपुर, राजनगर, रामनगर.	10	147	157	10	50	05	25	1470	500	
37.	पेंड्रारोड से अनूपपुर व्हाया वैंकटनगर, जैतहारी	26	40	66	06	12	03	06	240	312	
38.	जनकपुर से जयसिंग नगर व्हाया बुढ़वा, पचपेढ़ी	16	101	117	02	06	01	03	202	96	
39.	सीधी से जनकपुर व्हाया चोपाल, मढ़वास, हरदी, माड़ीसरायी, देवगढ़.	22	105	127	02	06	01	03	210	132	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
40.	सीधी से मनेन्द्रगढ़ व्हाया चौपाल मड़वास, पोंड़ी, पटेहरा, माड़ीसरई, देवगढ़, जनकपुर, केल्हारी, बिजुरी, राजनगर, खोगांपानी, झगराखण्ड.	96	191	287	02	06	01	03	382	576	
41.	मनेन्द्रगढ़ से अनूपपुर व्हाया राजनगर, मरवाही, पेंड्रा, वैंकटनगर.	84	40	124	06	02	03	01	240	168	
42.	व्यवहारी से जनकपुर व्हाया बनसील	17	58	75	02	06	01	03	116	102	
43.	शहडोल से मरवाही व्हाया अनूपपुर, वैकंटनगर, पेंड्रा.	55	88	143	04	06	02	03	352	330	
44.	बिलासपुर से मनेन्द्रगढ़ व्हाया कोटा, पेंड्रा, मरवाही, राजनगर.	205	22	227	06	02	06	02	132	410	
45.	पेंड्रारोड से मनेन्द्रगढ़ व्हाया मरवाही, राजनगर	64	22	86	12	02	06	01	264	128	
46.	शहडोल से तिलोखन व्हाया बुढ़ार, अनूपपुर, कोतमा, राजनगर.	38	107	145	02	04	01	02	214	152	
47.	फूलसागर से रायपुर व्हाया मंडला, बैहर, मलाजखण्ड, सालेटेकरी.	128	149	277	02	04	01	02	298	512	
48.	बालाघाट से कवर्धा व्हाया बैहर, गढ़ई	102	128	230	02	04	01	02	256	408	
49.	पेण्ड्रारोड से नागपुर व्हाय पेण्ड्रा, कोटमी, दानीकुण्डी, मरवाही, बरोर, आमादाण्ड, राजनगर, मनेन्द्रगढ़.	95	22	117	04	04	02	02	88	360	
50.	पेण्ड्रारोड से केसवाही व्हाया पेण्ड्रा, कुदरी, कोटमी, दानीकुण्डी, मरवाही, बरटोला, बरोर, आमादाण्ड, बेलिया, कोतमा, सिमरिया.	64	53	117	04	04	02	02	212	256	
51.	लखनघाट से अमरकंटक व्हाया सिवनी, धनपुर, पेण्ड्रा, पेण्ड्रारोड, केंवची.	86	04	90	04	02	02	01	16	172	
52.	पेण्ड्रारोड से कोतमा व्हाया धनपुर, सिवनी, मरवाही, आमादाण्ड, बिजुरी.	64	36.	100	04	02	02	01	144	128	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
53.	पेण्ड्रारोड से हरदी व्हाया बैंकटनगर, जेतहरी, अनूपपुर, धनपुरी, बुढ़ार.	30	74	104	02	04	01	02	148	120	
54.	करपा से पेण्ड्रारोड व्हाया अमरवाह, राजेन्द्रनगर, करसाघाट.	19	67	86	02	04	01	02	134	76	
55.	पेण्ड्रारोड से शहडोल व्हाया सिवनी, जेतहरी, अनूपपुर, बुढ़ार.	31	84	115	02	04	01	02	164	124	
56.	पेण्ड्रारोड से बेनीबारी व्हाया बैंकटनगर, जेतहरी, अनूपपुर, राजेन्द्रग्राम.	21	111	133	04	04	02	02	444	84	
57.	पेण्ड्रारोड से खाटी व्हाया करंगरा, पोडकी, अमरकंटक, करंजिया.	19	43	62	02	04	01	02	86	76	
58.	परासी से अनूपपुर व्हाया मरवाही, कोतमी, पेण्ड्रारोड, बैकटनगर, जैतहारी.	76	34	110	02	02	01	01	68	152	
59.	पेण्ड्रारोड से कोतमा व्हाया पेण्ड्रा, सिवनी, चोलना, भालूमाडा.	62	38	100	02	02	01	01	76	124	
60.	मनेन्द्रगढ़ से निवास व्हाया झगराखाण्ड, लेदरी, रामनगर, बिजुरी, केल्हारी, जनकपुर, माडीसरई, मडवास.	111	90	201	02	04	02	04	180	444	
61.	कोतमा से करंजिया व्हाया भालूमाडा, जमुना, चोलना, सिवनी, निमधा, धनपुर, पेण्ड्रा, पेण्ड्रारोड, केवंची, अमरकंटक.	77	60	137	04	04	02	02	240	308	
62.	भगवानपुर से बेढन व्हाया वाड्रफनगर, बलंगी	117	23	140	04	04	02	02	92	468	
63.	राजनांदगांव से तिरोडी रेल्वेस्टेशन व्हाया खैरागढ़, लांजी, बालाघाट, बारासिवनी.	77	160	237	02	04	02	04	320	308	
64.	कोरबा से अनूपपुर व्हाया कटघोरा, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़.	180	61	241	04	04	04	04	244	720	
65.	पेण्ड्रारोड से गोपालपुर व्हाया केंवची, अमरकंटक.	40	50	90	04	04	02	02	200	160	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
66.	अंबिकापुर से अनूपपुर, व्हाया बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़.	134	61	215	02	02	01	01	122	268	
67.	पेण्ड्रारोड से बजाग व्हाया केंवची, अमरकंटक करंजिया.	40	60	100	04	04	02	02	240	160	
68.	बिलासपुर से अनूपपुर व्हाया कोटा, केवंची, पेण्ड्रारोड, बैकंटनगर.	145	37	182	04	04	02	02	148	580	
69.	भर्रीडांड से पडोर व्हाया दानीकुण्डी, मरवाही, बरोर, आमादाण्ड, प्यारी, भालूमाडा, कोतमा, बदारा, जमुना, परासी.	52	30	82	04	00	02	00	120	00	
70.	शहडोल से मरवाही व्हाया राजनगर, झिरियाटोला, आमादाण्ड, बरतरई, जनकपुर.	31	107	138	02	04	01	02	214	124	
71.	जयसिंगनगर से कोटाडोल व्हाया कुबरी, अमझोर, सीधी, जनकपुर.	24	50	74	02	04	01	02	100	96	
72.	शहडोल से गौरखपुर व्हाया धनपुर, राजेन्द्रग्राम, लालाटोला, बेनीबारी, गाढासरई.	19	111	130	02	04	01	02	222	76	
73.	मनेन्द्रगढ़ से लीलाटोला व्हाया खोंगापानी, राजनगर, कोतमा, बदरा, पंसला, अनूपपुर.	13	111	124	02	04	01	02	222	52	
74.	अनूपपुर से गौरेल्ला व्हाया जैतहारी, बैंकठनगर	20	38	58	02	04	01	02	76	80	
75.	दुर्ग से जबलपुर व्हाया धमधा, मलाजखण्ड	106	262	368	02	02	02	02	524	212	
76.	बेढन से वाड्रफनगर	30	35	65	06	10	03	05	390	300	
77.	मण्डला से पेण्ड्रारोड व्हाया डिंडोरी, गाडासरई, गोखपुर, करंजिया, अमरकंटक, केंवची.	38	184	222	02	02	02	02	368	76	
78.	डिंडोरी से कोरबा व्हाया गाडासरई, गोरखपुर, अमरकंटक, पेण्ड्रारोड, पंसान, जडगा, कटघोरा.	178	84	262	02	02	02	02	168	356	
79.	डिंडोरी से बिलासपुर व्हाया गाढासरई, गोखपुर, करंजिया, अमरकंटक, केवंची, करगीरोड.	117	84	201	02	02	02	02	168	234	
80.	केशवाही से अमरकंटक व्हाया अनूपपुर, जैतहारी, बैंकठनगर, पेण्ड्रारोड, केंवची.	58	82	140	02	02	01	01	164	116	
81.	केशवाही से पेण्ड्रारोड व्हाया अनूपपुर, जैतहारी, बैंकठनगर.	20	80	100	02	02	01	01	160	40	

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2007

क्रमांक 692/पं. ग्रा. वि. वि./22/2007.—- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ ग्रामीण यांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा की भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. <u>संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ</u> – (1) ये नियम छत्तीसगढ़ ग्रामीण यांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा, भर्ती नियम, 2006 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. <u>परिभाषाएं</u>:— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शासन,

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ लोक सेवा आयोग,

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अंतर्गत् भर्ती के लिये संचालित की गई प्रतियोगिता परीक्षा,

(घ) "शासन" से अभिप्रत है, छत्तीसगढ़ शासन,

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न अनुसूची,

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत् इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति,

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत् इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5 पच्चीस–4–84, दिनांक 26.12.84 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग ।

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण यांत्रिकी राजपत्रित सेवा, श्रेणी 1 तथा 2 ।

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य,

3. <u>विस्तार तथा लागू होना</u>:— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे ।

4. <u>सेवा का गठन</u>:— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—
(1) इन नियमों के प्रारंभ के समय अनुसूची में उल्लेखित पदों पर मौलिक/स्थानापन्न रूप से नियुक्त व्यक्ति,

(2) इन नियमों के लागू होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये व्यक्ति,

(3) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये व्यक्ति,

5. <u>वर्गीकरण, वेतनमान आदि</u> :— सेवा का वर्गीकरण, उसके लिए वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या इससे संलग्न अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी,

परन्तु, शासन सेवा में होने वाले पदों की संख्या में समय–समय पर या तो स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा ।

6. <u>भर्ती का तरीका</u>:—
(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से किया जायेगा, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा / चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) छत्तीसगढ़ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (अन्य कैडर) में अनुसूची चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये, सेवा में सदस्यों के पदोन्नति द्वारा,

(ग) अनुसूची 2 में दर्शाये अनुसार ऐसे सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक रूप से धारित व्यक्तियों के स्थानांतर द्वारा,

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट यथोचित पदों की संख्या के साथ अनुसूची दो में दर्शाये गये प्रतिशत् से अधिक नहीं होगी ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन भर्ती की किसी भी विशेष कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा के किसी भी विशेष पद या पदों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से निश्चित की जायेगी ;

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यक होने पर, शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती संबंधी उन तरीकों को छोड़ जिनका उक्त उपनियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा निर्धारित किये जावें ।

7. <u>सेवा में नियुक्ति</u>:- इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में समस्त नियुक्तियां शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जावेगी, अन्यथा नहीं ।

8. <u>सीधी भर्ती किये जाने वाले उम्मीद्वारों की पात्रता संबंधी शर्तें</u> – परीक्षा में स्पर्धा करने /चयन किये जाने के लिए, पात्र होने के लिए उम्मीद्वार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए, अर्थात्

(एक) <u>आयु</u> –

(क). चयन प्रारंभ होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को उसने अपनी आयु के उतने वर्ष पूरे कर लिये हों, जितने कि अनुसूची तीन के कॉलम 3 में उल्लिखित हैं, किन्तु उतने वर्ष पूरे न किये हों जितने कि अनुसूची तीन के कॉलम 4 में उल्लिखित है,

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो आयु की अधिकतम सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) उन अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, निम्नलिखित सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट दी जाएगी :–

(1) ऐसा अभ्यर्थी, जो शासन का स्थायी अथवा अस्थाई कर्मचारी हो 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होनी चाहिए,

(2) ऐसा अभ्यर्थी, जिसमें कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता से वेतन पाने वाला व्यक्ति तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्ति सम्मिलित है, जो अस्थाई रूप से पद धारण करता है तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन करता है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए,

(3) जो आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत हो चुके हो, सामान्य श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी के लिए अधिकतम् आयु सीमा में अधिक से अधिक पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी,

(4) उम्मीद्वार जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की अवधि, भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुमति दी जावेगी, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम् आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हों,

स्पष्टीकरण:– शब्द 'छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो इस राज्य अथवा किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह तक निरंतर रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अथवा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो ।

(5) परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत् ग्रीड कार्ड धारित अभ्यर्थी के लिए भी अधिकतम् आयु सीमा में 2 वर्ष तक शिथिल की जावेगी।

(6) सीधी भर्ती द्वारा समस्त पदों में नियुक्त किए जाने के लिए महिला उम्मीदवारों के लिये भी आयु अधिकतम् 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। परंतु विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला उम्मीद्वार को आवश्यक रूप से योग्यता एवं पात्रता रखने पर सीधी भर्ती के अंतर्गत् नियुक्ति के लिए आवेदन करने पर सामान्यतः अधिकतम् आयु सीमा में 5 वर्ष के अतिरिक्त छूट का लाभ दिया जाएगा।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में दी गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कार्यावधि कम करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम् आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरणः— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की अवधि तक निरंतर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा, आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो :—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें मस्टरिंग आउट कन्सेशन के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों जिन्हें दुबारा भरती किया गया हो और जिन्हें (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर, (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी,

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमे अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित है जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवामुक्त किये गये हों।

(पाँच) अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किये गये अधिकारी,

(छः) अक्षमता के कारण सेवा से अलग कर दिये गये भूतपूर्व सैनिक,

(सात) अक्षमता के कारण सेवा से अलग कर दिये गये भूतपूर्व सैनिक,

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हों।

— विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी के लिए अधिकतम् आयु सीमा अधिक से अधिक पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

— राज्य निगम /मंडल के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा ३८ वर्ष तक की आयु सीमा तक शिथिलनीय होगी।

— स्वयं सेवी नगर सैनिको एव अनायुक्त अधिकारियों जो उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेना सेवा मे उनके द्वारा दी गई सेवा के पूरे वर्षों के अधिकतम् कालावधि तक शिथिलनीय होगी। उपर्युक्तानुसार छूट की सीमा 8 वर्ष होगी अर्थात् ऐसी छूट देने पर संबंधित नगर सैनिक/अनायुक्त अधिकारी की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप:- उपनियम (1) के खण्ड (घ) के उपखण्ड (1) एवं (2) में दर्शाये आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत् जिन अभ्यर्थियों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र भरने के पश्चात् चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्यागपत्र दे दें तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि, यदि आवेदन पत्र भरने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाये तो नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएगी। विभागीय अभ्यर्थी को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

(झ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे।

(दो) <u>शैक्षणिक अर्हताएं</u> :- अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जैसा कि अनुसूची तीन के कालम (5) में विनिर्दिष्ट की गई है।

(क) अपवादिक मामले में आयोग, शासन की सिफारिश पर, ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह समझ सकेगा, यद्यपि जिसके पास इस खण्ड में विहित किये गये कोई अर्हता नहीं है, अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित किये गये मानक द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, जिसको आयोग की राय में चयन के लिए, परीक्षा के लिए अभ्यर्थी के प्रवेश को न्यायोचित ठहराया जाता हो, और

(ख) आयोग के निर्देशन में परीक्षा के लिए प्रवेश / चयन के लिए भी ऐसे उम्मीदवारों के मामले पर विचार कर सकेगा, जो अन्यथा अर्ह हो किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हो जो शासन द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय न हो।

(तीन) फीसः– अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित किये गये फीस का भुगतान करना होगा ।

9. **अनर्हता** :– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयास आयोग द्वारा उसके चयन के संबंध में अनर्हता के रूप में माना जावेगा ।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा** :– परीक्षा में उपसंजात होने के लिए, चयन के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्य बात के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा आयोग द्वारा ऐसे किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने /साक्षात्कार में उपसंजात होने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसे आयोग ने प्रवेश प्रमाण–पत्र न दिया हो ।

11. **चयन द्वारा सीधी भर्तीः–**

(1) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतर से किया जाएगा, जिसे शासन समय–समय पर आयोग से परामर्श कर निश्चित करे ।

(2) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार के पश्चात् किया जावेगा,

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) अधिनियम, 1994, के उपबंध सेवा में भर्ती के समय तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिनियम के अधीन जारी निर्देशो को समय–समय पर प्रयोज्य की जायेगी।

(4) इस प्रकार रक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये उनके नामों के क्रम के अनुसार किया जायेगा चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक पद कुछ भी क्यों न हो,

(5) प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा चुने गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उपनियम (3) के अधीन यथा स्थिति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किये जा सकेंगे।

(6) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार लागू की जायेगी।

(7) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण लागू रहेगा।

(8) शासन द्वारा जारी किये गये निर्देश सीटो के आरक्षण की रिक्तियां भरने तथा आरक्षण के लिए समय–समय पर अनुपालन की जायेगी।

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारो की सूची** :–

(1) आयोग अपने द्वारा निश्चित किये गये मानकों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है किन्तु जिन्हे आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, शासन को भेजेगा। यह सूची सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित की जायेगी,

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अधीन, उपलब्ध रिक्त स्थानों पर सूची में दिये गये नामो के क्रम से अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जाएगा,

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने संबंधी तथ्य ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक की शासन ऐसी जाँच करने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

13. <u>पदोन्नति द्वारा नियुक्ति</u> :–

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जावेगी, जिसमें इससे संलग्न अनुसूची चार में उल्लिखित सदस्य होंगे, समिति में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होगा । नहीं होने की स्थिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सम्मिलित किया जायेगा,

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतराल में जो सामान्यतः एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) रक्षित रिक्त स्थानों में पदोन्नतियों के लिए प्रक्रिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार होगी ।

14. <u>पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें</u> :–

(1) समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को उन पदों पर, जिनसे की पदोन्नति की जानी है या किसी अन्य पद या पदों पर जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया है, स्थानापन्न या मौलिक रूप में उतने वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, जितनी अनुसूची चार के कालम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आते हो ।

(2) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु अवधारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अधीन उपबंधित किए गये अनुसार, अन्य समस्त उपबंध भी यथास्थिति, पदोन्नति के संबंध में लागू होंगे।

15. उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना :–

(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे। सूची में उतने नाम सम्मिलित किये जायेंगे जितने सूची बनाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त तथा पदोन्नति के कारण रिक्त स्थान संभावित हों सके । इसके अतिरिक्त उक्त कार्यावधि में होने वाले अप्रत्याशित रिक्त स्थानों को भरने के लिए सुरक्षित सूची तैयार की जाये।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी तथा पदोन्नति से संबंधित अन्य बिन्दु एवं प्रक्रिया भी छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार लागू होंगे।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

(4) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण के दौरान यह प्रस्तावित किया जावे कि यथा स्थिति सिविल सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाये तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को अभिलिखित करेगी ।

16. **आयोग से परामर्श** :– (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची शासन द्वारा, निम्नलिखित के साथ आयोग को भेजी जाएगी :–

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख,

(दो) (अनुसूची चार के कालम (2) में दर्शित) सेवा के ऐसे सभी सदस्यों के अभिलेख जिनका सूची में की सिफारिशों के अनुसार, अधिक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो,

(तीन) (अनुसूची चार के कालम (2) में दर्शित) सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में समिति द्वारा अभिलिखित किये गये कारण, और

(चार) समिति की सिफारिशों पर शासन के विचार ।

(2) यदि पदोन्नति समिति की बैठक में आयोग के अध्यक्ष /आयोग द्वारा नामांकित आयोग के सदस्य अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे हों तथा बैठक के कार्यवाही विवरण पर समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों के अनुमोदन के हस्ताक्षर हों तो ऊपर उपनियम (1) की कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी।

17. **चयन सूची**:–

(1) आयोग शासन से प्राप्त हुए अन्य दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि उसमें वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो उसे अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा शासन उस पर यदि कोई मत प्रकट करें तो उस पर ध्यान देते हुए, ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हो तो जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची सेवा के सदस्यों की अनुसूची चार के कालम (4) में विनिर्दिष्ट पद के लिए अनुसूची चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट पद से पदोन्नति करने के लिए चयन सूची से होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतः तब तक लागू रहेगी, जब तक कि नियम–15 के उपनियम (3) के अनुसार उसका पुनः पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण न किये जायें, किन्तु इस सूची की विधि मान्यता इसके बनाने की तारीख से 18 महिने की कार्यावधि के पश्चात् नहीं बढ़ाई जा सकेगी।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति:—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जावेगी, जिस क्रम से ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में हो ।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक की चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट उत्पन्न न हो जावे, जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो ।

19. **परिवीक्षा:—** सेवा में सीधी भर्ती /पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा ।

20. **निर्वचन:—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा ।

21. **शिथिलीकरण:—** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह राज्यपाल को, ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिस पर ये नियम लागू होते हों, ऐसे रीति से कार्यवाही करने की जो न्यायसंगत एवं साम्यपूर्ण प्रतीत हो, शक्ति को सीमित या कम करती हैं।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

22. <u>निरसन और व्यावृत्ति</u> :— (क) इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व लागू सभी नियम इसके द्वारा इन नियमों के अंतर्गत् आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. पी. किण्डो, संयुक्त सचिव.

अनुसूची — एक

(नियम 5 देखिये)

छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत् ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (राजपत्रित) सेवा

सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कर्त्तव्य पद				
1. मुख्य अभियंता	2	प्रथम वर्ग	16400—450—20000	
2. अधीक्षण अभियंता	8	प्रथम वर्ग	12000—375—16500	
3. कार्यपालन अभियंता	44	प्रथम वर्ग	10000—325—15200	
4. सहायक अभियंता	182	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500	

अनुसूची – दो

(नियम 6 देखिये)

छत्तीसगढ़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत् ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (राजपत्रित) में भरे जाने वाले संख्या का प्रतिशत्

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की संख्या	सीधी भरती द्वारा [नियम 6 (क) देखिए]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(ख) देखिये]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा {नियम 6(ग) देखिये}	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	1. मुख्य अभियंता	2	—	100 प्र.श.	पदोन्नति हेतु योग्य व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में	
	2. अधीक्षण अभियंता	8	—	100 प्र.श.	पदोन्नति हेतु योग्य व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में	
	3. कार्यपालन अभियंता	44		100 प्र.श.	पदोन्नति हेतु योग्य व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में	
	4. सहायक अभियंता	182	25 प्र.श	75 प्र.श. —	(50 प्रतिशत् उपअभियंताओं से 20 प्रतिशत् डिग्रीधारी उपअभियंता संवर्ग से, 5 प्रतिशत् मुख्य मानचित्रकार / मानचित्रकार से)	

अनुसूची – तीन

(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम् आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत् ग्रामीण यांत्रिकी सेवा /प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (राजपत्रित)			
	सहायक अभियंता	21 वर्ष	30 वर्ष	भारत के किसी भी अभियात्रिकी महाविद्यालय की अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अभियांत्रिकी संस्था द्वारा सिविल डिग्री प्रमाण–पत्र, इंस्टि्यशर्न आफ इंजीनियर्स (इंडिया) से प्राप्त समकक्ष प्रमाण- पत्र, स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावेगी ।

अनुसूची—चार

(नियम 13 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए अर्हता हेतु न्यूनतम अनुभव	उस पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जावेगी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	अधीक्षण अभियंता	5 वर्ष	मुख्य अभियंता (प्रथम वर्ग)	मुख्य सचिव, अध्यक्ष तथा विभागीय प्रमुख सचिव /सचिव --सदस्य
(ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)	कार्यपालन अभियंता	5 वर्ष	अधीक्षण अभियंता (प्रथम वर्ग)	लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामांकित सदस्य—अध्यक्ष विकास आयुक्त --सदस्य संयुक्त सचिव /उपसचिव — सदस्य सचिव
	सहायक अभियंता (द्वितीय वर्ग)	6 वर्ष	कार्यपालन अभियंता (प्रथम वर्ग)	
	उपअभियंता (तृतीय वर्ग)	10 वर्ष	सहायक अभियंता (द्वितीय वर्ग)	
	मानचित्रकार /मुख्य मानचित्रकार (तृतीय वर्ग)	16 वर्ष	सहायक अभियंता (द्वितीय वर्ग)	

नोट:—(1) कार्यपालन अभियंता के पद पर केवल वे ही सहायक अभियंता पदोन्नति के पात्र होंगे जिनके पास कम से कम राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल /मैकेनिकल /इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग का तीन वर्ष का डिप्लोमा या मानचित्रकार के तीन वर्षीय कोर्स का डिप्लोमा हो ।

(2) केवल सिविल इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त करने वाले ही अधीक्षण अभियंता के पद या इस पद से उच्च पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

Raipur, the 16th March, 2007

क्रमांक 692/पं.ग्रा. वि. वि./22/2007.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309, of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh Rural Engineering (Gazetted) Service namely.

RULE

1. **Short title and Commencement** :- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Rural Engineering (Gazetted) Service, recruitment Rules, 2006.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the "Chhattisgarh Gazette."

2. **Definitions**: - In these rules, unless the context otherwise requires:-

   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government,

   (b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission,

   (c) "Examination" means the competitive examination conducted for recruitment under rule 11,

   (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh,

   (e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh,

   (f) "Schedule" means the Schedule appended to these rules,

   (g) "Scheduled Caste" means the Scheduled caste as specified in relating to this state under Article 341 of the constitution of India.

   (h) Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribe as specified in relation to this state under Article 342 of the constitution of India.

   (i) "Other Backwards Classes" means the Other Backward class of the citizens as specified in the notification no. F-8-5-Twenty Five-4-84, dated 26.12.84 of the Chhattisgarh Government, General Administration Department (Reservation cell) and as amended by the State Government from time to time.

   (j) "Service" means the Chhattisgarh Rural Engineering (Gazetted) Service, class 1 & 2 under the Department of Panchayat and Rural Development.

   (k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application**:- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service**: - The Service shall consist of the following persons, namely: -

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively / officiating posts, specified in Schedule appended to these rules,

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules,

5. **Classification Scale of Pay, etc**- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Schedule-I.

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment:**- (1) Recruitment in the service after the commencement of these rules, shall be by the following methods namely:-

(a) By direct recruitment through competitive Examination / Selection.

(b) By promotion of the members already in the service specified in column (2) of Schedule IV in the Chhattisgarh Rural Engineering Gazetted Service, (Other Cadre).

(c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity, such posts in such services as mentioned in schedule II,

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule 1 shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of duly posts specified in Schedule I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by such methods, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may, with prior concurrence of the General Administrative Department adopt such

methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may by order prescribe in this behalf.

7. <u>Appointment in the service</u>:- All appointments in the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule-6.

8. **<u>Conditions of eligibility of direct recruits</u>**:- In order to be eligible to compete in the examination / to be selected a candidate must satisfy the following conditions, namely;

(i) Age:- (a) He must have attained the age as mentioned in column (3) of Schedule-III and not attained the age mentioned in column (4) of the Schedule-III,

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribes or Other Backward Class.

(c) The upper age limits will also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below: -

(1) A candidate who is a permanent / temporary Government servant should not be more than 38 years of age.

(2) A candidate including work charged employee contingency paid employee and a person employed in the Project Implementing committees, holds a post temporarily and applies for another post should not be more than 38 years of age:

(3) The upper age limit will also be relaxable upto a maximum of 5 years for a candidate belonging to the general category who has been rewarded under the scheme for the encouragement of intercaste marriages of the Tribal. Harijan and Backward classes welfare Department,

(4) A Candidate who is a retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years,

Explanation: - The term "Retrenched Government servant" denotes a person who was in a temporary Government service of this state or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment

not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(5) The upper age limit will also be relaxable upto a maximum of 2 years for a candidate holding a green card under the Family Welfare Scheme.

(6) The upper age limit will also be relaxable upto a maximum age of 10 years for female candidates to be appointed in all the posts by direct recruitment but the widow, deserted and divorcee female candidates having requisite eligibilities and qualifications, applying for appointment under direct recruitment shall be given the benefit of additional relaxation of 5 years in the normal upper age limit,

(d) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation:- The term 'Ex-serviceman' denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus, as a result of the recommendations of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:-

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions.

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on:-

(a) Completion of short-term engagement.
(b) Fulfillment of the conditions of enrolment.

(3) Ex-personnel of Madras Civil unit.

(4) Officers (Military and Civil) discharged from service on completion of their contract including short service regular commissioned officers.

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-serviceman invalided out of service.

(7) Ex-serviceman invalided out of service.

(8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gunshot wounds and the like.

- The upper age limit will also be relaxable upto a maximum of 5 years for the Vikram Award received players.
- The upper age limit shall be relaxed upto 38 years for the employees of State Corporation / Board.
- The upper age limit for the volunteer Home Guards and Non-Commissioned Officers shall be relaxable upto a maximum period of complete years of service already rendered by them in home guard service. Accordingly, the relaxation in the age limit will be 8 years means after such relaxation, the age of concerned Home Guard / Non-Commissioned officer should not exceed the age of 38 years.

N.B.- Candidates who are admitted to the selection under the age concessions mentioned in sub-clause (1) and (2) of clause (d) of sub-rule (1), above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In no other case will these age limits be relaxed. Departmental candidate shall obtain prior permission from the appointing authority to appear for selection.

(e) In addition to the above, the directions regarding the age limits issued from time to time by the General Administration Department of the Government shall also be applicable.

(ii) Educational Qualifications – The Candidate must posses the educational qualifications prescribed for the service as specified in column (5) of Schedule III.

provided that :– (a) In exceptional cases the commission may on the recommendations of the Government, treat as qualified a candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed examinations conducted by other Institutes by a standard which in the opinion of the Commission justifies the admission of candidate to the examination for selection, and

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign Universities, being University not specifically recognised by Government, may also be considered for selection / admission to the examination at the direction of the Commission.

(iii) Fees.- The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

9. **Disqualification**- Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for admission / selection to the examination.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final :-** The decision of the Commission as to appear in the examination, the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no such candidate shall be allowed to appear in the examination / interview by the Commission to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission.

11. **Direct Recruitment by selection** – (1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may in consultation with the Commission from time to time determine.

(2) Selection of candidates for the service shall be made by the Commission by written test and after interviewing them.

(3) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Public Service Commission (Reservation for Scheduled Castes / Scheduled Tribes and Other Backward Class) Act, 1994, and the directions issued under the Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(4) In filling the vacancies so reserved, the candidates who are members of the scheduled castes and scheduled tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes, Other Backwards Classes declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes as the case may be under Sub-Rules (3).

(6) Reservation for Women candidates shall be applicable as per provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for appointment of Women) Rules, 1997.

(7) Reservation for the physically handicapped candidates shall be applicable as per the directions by the General Administration Department.

(8) The directions issued by the Government from time to time for reservation and filling the vacancies of reserved seats shall be complied.

12. **List of candidates recommended by the Commission**:- (1) The Commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standard as the Commission may determine and of the

candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who, though not qualified by that standard, are yet declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. This list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no rights to appointment unless the Government is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary for appointment to the service.

13. Appointment by promotion :- (1) A Committee shall be constituted, consisting of the members in Schedule IV, for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates, at least one member of the committee will be either from scheduled caste or from scheduled tribe. If not, one member of scheduled caste or scheduled tribe shall be included in the committee.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) The Procedure for making promotion to the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by the Government through the General Administration Department from time to time.

14. Conditions of eligibility for Promotion:- (1) The Committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service, officiating or substantive as is specified in column (3) of Schedule IV or any other post or posts declared equivalent there to by the Government and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub rule (2).

(2) The promotion shall be made, following the reservation roster determined for promotion by the Government.

(3) The all other provisions for promotion, as provided under the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 shall also be applicable.

15. Preparation of the list of suitable officers:- (1) The Committee shall prepare a list of such person who satisfy the conditions prescribed in rule 14 and held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be consist of so many names as the anticipated vacancies may be on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of list. In addition to, a reserve list be also prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of aforesaid period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared as per the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the other points and procedure of promotion, given under Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 shall also be applicable.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If it is proposed, during such selection, review or revision, to supercede any member of the civil service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. **Consultation with the Commission**:- (1) The list prepared as per rule 15 shall be sent by the Government to the Commission alongwith the following:-

(i) The records of all persons included in the list,
(ii) [As shown in column (2) of schedule (IV)] The records of all such members of the service whose supersession is proposed according to recommendation in the list,
(iii) [(As shown in column (2) of schedule (IV)] The reasons recorded by the committee for proposed supersession of any member of the service; and
(iv) Opinion of the Government on recommendations of the committee.

(2) If the Chairman of the Commission or the member of Commission, nominated by the Chairman / Commission was present in the meeting of promotion committee and proceeding minute of the meeting bears the signature of approval of the Chairman including all the members of committee, the proceeding of aforesaid sub-rule (1) shall not be necessary.

17. **Select List** :- (1) The Commission shall consider the list prepared by the Committee alongwith / including the other documents received from the Government and it shall be approved if no any change is deemed to be necessary therein.

(2) If the Commission thinks necessary to make any change in the list received from the Government, the proposed changes shall be intimated to the Government and if any opinion on it, is given by the Government, considering the same, including such amendments, if any, which is just and fit in its opinion, the list could be approved finally.

(3) The list as finally approved by the Commission shall be from the select list for promotion of the members of the service from the posts specified in column (2) of Schedule-IV to the posts specified in column (4) of Schedule-IV.

(4) The select list shall ordinarily be in force until it is again reviewed or revised in accordance with sub-rule (3) of rule 15 but its validity could not be extended after a period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapses in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. Appointment in the service from the select list:- (1) Appointments of the officers included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list in the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government, is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

19. Probation:-- Every person directly recruited / promoted in the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. Interpretation:-- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision there on shall be final.

21. Relaxation:-- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

22. Repeal and Saving: -- All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed, in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H. P. KINDO Joint Secretary.

SCHEDULE -I

(See Rule-5)

Rural Engineering Service (Gazetted) under the Chhattisgarh Panchayat and Rural Development Department

Name of the post included in Service (1)	Number of posts (2)	Classification (3)	Scale of Pay (4)	Remarks (5)
(a) DUTY POST				
1. Chief Engineer	2	Class-I	16400-450-20000	
2. Superintendent Engineer	8	Class-I	12000-375-16500	
3. Executive Engineer	44	Class-I	10000-325-15200	
4. Assistant Engineer	182	Class-II	8000-275-13500	

SCHEDULE –II

(See Rule-6)

The Percentage of number of posts to be filled in the Rural Engineering Services and Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (Gazetted) under the Chhattisgarh, Panchayat and Rural Development Department

Name of the Department	Name of Service	Number of Posts	By direct Recruit -ment [see rule 6(a)]	By Promotion of the members of the service [see rule 6(b)]	By temporary transfer of the members from other services [see rule 6(d)]	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Panchayat and Rural Development Department	1. Chief Engineer	2	-	100%	In the event of non-availability of suitable persons for promotion	
	2. Superintendent Engineer	8	-	100%	In the event of non-availability of suitable persons for promotion	
	3. Executive Engineer	44	-	100%	In the event of non-availability of suitable persons for promotion	
	4. Assistant Engineer	182	25%	75%	50 percent from among the sub-Engineers. 20 percent from the cadre of Sub-Engineers possessing a degree. 5 percent from among the Head Draftsman /Draftsman	

SCHEDULE -III

(See Rule-8)

Name of the Department (1)	Name of Service (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Prescribed Educational Qualification (5)
Panchayat and Rural Development Department	Rural Engineering Service/Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (Gazetted) under Chhattisgarh Panchayat and Rural Development			
	Assistant Engineering	21 years	30 years	A degree in Civil Engineering from any Indian University or from any Engineering Institution recognised by the State Government or any Engineers (India) equivalent thereto. Persons possessing the Post Graduate Degree in the subject shall be preferred.

SCHEDULE -IV

(See Rule-13)

Name of Department	Name of Post from which promotion is to be made	Minimum experience for being qualified for promotion to the next higher post	Name of Post to which the promotion is to be made	Name of the members of the Departmental Promotion Committee (rule-14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Panchayat and Rural Development Department	Superintending Engineer	5 Years	Chief Engineer (Class-I)	Chief Secretary, Chairman and Departmental Principal Secretary /Secretary - Member
(Rural Engineering Service / Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna)	Executive Engineer	5 Years	Superintending Engineer (Class-I)	Chairman of Public Service Commission or any member nominated by him - Chairman Development Commissioner- Member Joint Secretary / Deputy Secretary- Member Secretary
	Assistant Engineer (Class-II)	6 Years	Executive Engineer (Class-I)	
	Sub-Engineer (Class-III)	10 Years	Assistant Engineer (Class-II)	
	Draftsman/ Head Draftsman (Class-III)	16 Years	Assistant Engineer (Class-II)	

Note :- (1) Only those Assistant Engineers shall be eligible for promotion to the post of Executive Engineer who possess at least a three year diploma in Civil / Mechanical / Electrical Engineering or a three year diploma in Draftsmanship recognized by the State.

(2) Only the persons possessing a Degree in Civil Engineering shall be eligible for promotion to the post of Superintending Engineer or any higher post.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 19 मार्च 2007

क्रमांक/133/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	दोड़दे	0.29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	पलाचूर तालाब योजना अन्तर्गत दायीं नहर निर्माण, बायीं नहर निर्माण एवं एवं लघु नहर निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 24 मार्च 2007

क्रमांक 9033/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	उधनापुर	5.77	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बैकुण्ठपुर, कोरिया.	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लांन) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां/चिरमिरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 8 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	अछोली प. ह. नं. 22	1.608	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	भरुवाडीह - खम्हरिया-गातापार मार्ग के किमी 3/4 पर खोरसी नाला पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 21 मार्च 2007

क्रमांक 32/भू-अर्जन/अ.वि.अ./03 अ/82/ सन् 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-पासिद, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.54 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1025	0.31
	1058	0.23
योग	2	0.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पासिद जलाशय के मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 2 मार्च 2007

प्रकरण क्रमांक 2 अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-कुटकीपारा, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.739 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11	0.028
59/1	0.020
59/2	0.028
58/2	0.040
56/2	0.161
56/1	0.036
53	0.040
55/2	0.045
54	0.004
48/1	0.036
48/2	0.040
48/3	0.036
46/1	0.105
46/2	0.068
44/1	0.312
44/2	0.053
36	0.165
35	0.057
126/2	0.105
126/1	0.093
129/7	0.081
129/6	0.065
129/5	0.065
129/1	0.056
योग 24	1.739

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- किनारीटोला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 2 मार्च 2007

प्रकरण क्रमांक 54 अ/82-05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-किनारीटोला, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.886 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
49/2	0.121
39/1	0.230
39/2	0.105
39/3	0.032
39/4	0.045
38/1	0.073
38/6	0.053
38/3	0.316
38/5	0.057
38/4	0.008
32	0.239
31	0.073

(1)	(2)
29	0.291
28/2	0.008
28/3	0.093
28/5	0.069
28/7	0.073
योग 17	1.886

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- किनारीटोला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-उतरदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.994 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
320/2	0.016
329/61	0.049
331	0.053
385	0.016
389/3, 431/9	0.061
397/3	0.049
398/2	0.008
400/8	0.089
401/5, 401/6	0.028
443	0.069
582	0.040
854/3, 854/4	0.057
852	0.008
857/1	0.012
858	0.028
859/4, 870/4	0.040
883/4	0.061
884/1	0.024
885/2	0.053
885/3	0.065
885/4, 885/5	0.032
887/12	0.020
887/13	0.020
995/1	0.008
995/4	0.016
1001/2, 1002/1	0.040
2454/6	0.032
योग 27	0.994

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एनटीपीसी सीपत परियोजना एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पाली

(ग) नगर/ग्राम-रेंकी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.259 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
304/2, 312/5	0.162
311/3 क, 311/6 क	0.061
320/10	0.032
440/15	0.004
योग 4	0.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एनटीपीसी सीपत परियोजना एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पाली

(ग) नगर/ग्राम-रेंकी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.881 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
304/10	0.057
319/1	0.125
320/5, 320/6	0.085
320/7, 320/8	0.008
322/5	0.093
330/2	0.061
349/2	0.020
349/16 क	0.024
361/1, 361/4	0.227
363/5, 364/2	0.049
363/6, 434/2	0.045
365/7	0.178
365/9	0.081
370/4	0.020
374/1	0.020
374/2	0.085
374/3	0.061
374/4	0.069
374/5	0.040
390/6	0.093
390/7	0.089
391/3	0.085
392/2	0.081
393/13	0.061
393/14	0.065
393/17	0.032
431/3	0.016
431/5	0.032
431/7	0.061
434/3	0.061
434/6	0.134
434/7	0.049
439/2	0.040
439/8	0.020
439/11	0.032
440/2	0.283
440/9	0.121
440/12	0.012
442/2, 442/3	0.097
442/4, 442/5	0.053
442/8	0.016
योग 41	2.881

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एनटीपीसी सीपत परियोजना एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-उतरदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.641 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	329/1 थ	0.020
	329/1 द	0.081
	329/2	0.040
	330/1	0.004
	399/3	0.053
	400/3	0.040
	400/5	0.040
	401/9	0.004
	513/4	0.004
	572/2	0.040
	583/1	0.073
	583/2	0.004
	613/3	0.004
	987/3	0.012
	1001/1	0.101
	2468/2	0.121
योग	16	0.641

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एनटीपीसी सीपत परियोजना एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-रतिजा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	594/1 ज	0.040
योग	1	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एनटीपीसी सीपत परियोजना एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पाली

(ग) नगर/ग्राम-सिरकीखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.178 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	7/1, 8/1	0.178
योग	1	0.178

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एनटीपीसी सीपत परियोजना एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पाली

(ग) नगर/ग्राम-नेवसा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	87/4	0.020
	87/14	0.040
योग	2	0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एनटीपीसी सीपत परियोजना एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पाली

(ग) नगर/ग्राम-झांझ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.073 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	306/1	0.020
	360/3	0.053
योग	2	0.073

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एनटीपीसी सीपत परियोजना एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च 2007

प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिलासपुर

(ग) नगर/ग्राम-बरपाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.09 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	106/1	1.69
	106/2	0.40
योग	2	2.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धौरामुड़ा जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च 2007

प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिलासपुर

(ग) नगर/ग्राम-अकलतरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-28.96 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1524	0.18
1525	0.22
1531	0.21
1557	0.15
1561	0.08
1530/1	0.24
1539	0.32
1540/1	0.44
1577	0.14
1540/2	0.45
1547	0.33
1553	0.10
1541	0.40
1542	0.30
1544	0.10
1545	0.41
1560	0.14
1579	0.15
1612/1	0.41
1617	0.22
1820/1	0.21
1611	0.54
1620	0.66
1621	0.68
1567/2	0.08
1569	0.11
1820/3	0.41
1589	0.11
1534	0.49
1563	0.14
1564	0.17
1575	0.37
1533	0.18
1550	0.11
1532	0.18

(1)	(2)
1537	0.41
1571	0.12
1590	0.29
1592	0.35
1538	0.25
1546/1	0.40
1572	0.42
1618	1.10
1546/2	0.39
1548	0.33
1549	0.40
1551	0.46
1581	0.15
1552	0.13
1554/1	0.08
1555/1	0.30
1555/2	0.20
1609	0.35
1610/1	0.17
1610/2	0.17
1535	0.64
1536/1	0.25
1582	0.10
1570	0.16
1536/2	0.26
1593	0.25
1556/1	0.15
1556/2	0.16
1558	0.08
1559	0.12
1574/1	0.15
1574/2	0.15
1585	0.16
1562	0.06
1565	0.41
1566	0.27
1567/1	0.76
1568	0.29
1616	0.30
1573	0.24
1576	0.12
1578	0.13
1580	0.16
1586/1	0.10
1586/2	0.09
1587	0.09
1588	0.12
1596	0.19
1591	0.64
1594	0.30
1595	0.11
1597	0.15
1598	0.14
1499	0.09
1612/1	0.16
1612/2	0.58
1607/1	0.40
1607/2	0.58
1608	0.40
1613, 1614	1.49
1615	0.71
1530/2	0.24
1820/3	0.41
1554/2	0.07
1583	0.33
1584	0.30
योग 101	28.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अकलतरी जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 मार्च 2007

रा. प्र. क्र. 22/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिलासपुर

(ग) नगर/ग्राम-धौरामुड़ा, प. ह. नं. 02

(घ) लगभग क्षेत्रफल-32.50 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
2/1, 3/1	0.96
5/1	0.05
11	0.98
2/2	0.09
4	2.63
9/2, 10/1	0.76
12/1	2.16
2/3, 3/2	0.94
2/4, 3/4	0.10
2/5, 3/4	0.03
5/2	0.05
7/2	0.08
8	1.60
9/4, 10/2	1.00
12/2	1.20
12/3	0.70
14	1.00
7/1	0.08
12/4	0.60
196	1.62
190	1.80
191	0.19
193	0.82
194	1.68
195/1	0.28
189/2	0.56
189/5	0.16
189/4	0.48
197/9	0.25
195/5	0.14
197/2	0.48
195/3	0.13
195/4	0.36
195/6	0.14
195/2	0.36

(1)	(2)
188/1	0.49
67/1	0.50
71/3	0.15
118/13	0.33
247/1	0.40
247/7	0.31
173/2	0.16
174/1	0.25
247/5	0.15
251/2	0.30
174/2	0.40
174/5	0.25
174/4	0.15
178/2	0.06
179/1	0.20
179/2	0.15
179/3	0.10
222	0.40
223/1	0.15
237/3	0.12
224	0.05
247/9	0.35
237/2	0.10
250/2	0.35
238/1, 238/3	0.22
192	0.91
188/2	0.48
15/8	0.56
योग	32.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धौरामुड़ा जलाशय बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी

मंत्रालय महानदी द्वार के पास रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2007

क्रमांक/1105/एन. आर. डी. ए./2007.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नया रायपुर क्षेत्र के लिए विकास योजना का (प्रारूप) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 69 (ख) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 30-3-2007 को प्रकाशन किया गया है और उसकी एक प्रति इस कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. दिनांक 30-3-2007 से नगर पालिका निगम, रायपुर के टाऊन हाल में प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है.

उक्त प्रारूप विकास योजना जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट की गई है.

उक्त प्रारूप विकास योजना के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर के कार्यालय में छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिन की कालावधि के समाप्त होने के पूर्व भेजा जाना चाहिए.

अनुसूची

(क) भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तथा उसके बारे में वृत्तात्मक रिपोर्ट.

(ख) प्रारूप योजना के उपबंधों को स्पष्ट करने वाले मानचित्रों तथा चार्टों द्वारा प्रमाणित की गई वृत्तात्मक रिपोर्ट.

(ग) प्रारूप योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था को उपदर्शित करने वाली रिपोर्ट.

(घ) विकास योजना को प्रवर्तित कराने के लिए उपबंध तथा वह रीति जिसमें विकास के लिए अनुज्ञा अभिप्राप्त की जा सकेगी कथित की जाएगी.

(ङ) लोक प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जन का अनुमानित खर्च तथा योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्वेलित कार्यों के अनुमानित खर्च का समुचित प्राक्कलन उपदर्शित करने वाली टिप्पणी.

Raipur, the 19th March 2007

No. 1105/NRDA/07.—Notice is hereby given that the draft Development Plan for Naya Raipur will be published on 30-3-2007 in accordance with provisions of section 69 (b) read with sub-section (1) of section 18 of the Chhattisgarh Nagaf Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) a copy there of is available for inspection at the office of the Naya Raipur Development Authority and office of the Collector. Distt. Raipur during office hours except holidays. An exhibition is also being organiged from 30-3-2007 at Town Hall-Municipal Corporation, Raipur.

The Particulars of the said Draft Plan has been specified in the scheduled below.

If there is any objection of suggestion with respect to the Draft Plan, it should be sent to the Chief Executive Officer, Naya Raipur Development Authority, Raipur or may be submitted at the venue of exhibition within 30 days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

(1) The existing land use maps and narrative report.

(2) A narrative report supported,maps and charts explaining the provision of the Draft Development Plan.

(3) The phasing of implementation of the Draft Development Plan.

(4) The provision for enforcing the Draft Development Plan and stating the manner in which permission to development may be obtained.

(5) An approximation of the cost of land acquisition for public purposes and the cost of works in volved in the implementation of plan.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा

बी-99, मेन रोड, समता कालोनी, डॉ. पांडे नर्सिंग होम के पास रायपुर छ. ग.

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2007

क्रमांक/एल. एफ. ए./प्रशा./2007/309.—शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चलाये गये विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्त शिशिक्षु ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिये विभागीय अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग 2 दिनांक 08-01-07 से 11-01-07 तक आयोजित की गई. शिशिक्षु ज्येष्ठ संपरीक्षक के प्राप्तांक के आधार पर निम्नांकित परीक्षार्थी विभागीय अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग 2 में उत्तीर्ण घोषित किये जाते हैं :-

क्र.	रोल नंबर	शिशिक्षु ज्येष्ठ संपरीक्षक का नाम
1	202	श्री दादूराम ध्रुव

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2007

क्रमांक/एल. एफ. ए./प्रशा./2007/310.—राज्य सेवा परीक्षा 2003 के तहत चयनित परीवीक्षाधीन सहायक संचालकों के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करने की अनुमति शासन के पत्र क्र. 1265/1554/2006/स्था/चार रायपुर दिनांक 07-11-06 द्वारा प्रदान की गयी. शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुक्रम विभागीय परीक्षा भाग 1 दिनांक 08-01-07 से 11-01-07 तक आयोजित की गई. परीवीक्षाधीन सहायक संचालक के प्राप्तांक के आधार पर निम्नांकित परीक्षार्थी विभागीय परीक्षा भाग 1 में उत्तीर्ण घोषित किये जाते हैं :-

क्र.	रोल नंबर	परीवीक्षाधीन सहायक संचालक का नाम
1	101	श्री गोविन्द सिंह कुमेटी
2	102	श्री सौदागर सिंह ताण्डेय
3	104	श्री विकास माहेश्वरी

अजयपाल सिंह,
संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 989/तीन-22-3/2000 (बिलासपुर-बिल्हा).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा द्वारा 12 प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बिलासपुर अपने घोषित कार्यस्थल बिलासपुर के अतिरिक्त बिल्हा में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में बिल्हा तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 989/III-22-3/2000 (Bilaspur-Bilha).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the IInd Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class, Bilaspur in addition to his place of sitting at Bilaspur declared shall also sit at Bilha to dispose of Civil and Criminal Cases arising out of Bilha Tahsil on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 991/तीन-22-3/2000 (पेण्ड्रारोड-मरवाही).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पेन्ड्रारोड अपने घोषित कार्यस्थल पेन्ड्रारोड के अतिरिक्त मरवाही में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में मरवाही तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 991/III-22-3/2000 (Pendra Road-Marvahi).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Pendra Road in addition to his place of sitting at Pendra Road declared shall also sit at Marvahi to dispose of Civil and Criminal Cases arising out of Marvahi Tahsil on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 993/तीन-22-3/2000 (दुर्ग-गुण्डरदेही).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, दुर्ग अपने घोषित कार्यस्थल दुर्ग के अतिरिक्त गुण्डरदेही में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में गुण्डरदेही तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 993/III-22-3/2000 (Durg-Gundardehi).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the IIIrd Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Durg in addition to his place of sitting at Durg declared shall also sit at Gunderdehi to dispose of Civil and Criminal Cases arising out of Gunderdehi Tahsil on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 995/तीन-22-3/2000 (जशपुर-बगीचा).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जशपुरनगर अपने घोषित कार्यस्थल जशपुरनगर के अतिरिक्त बगीचा में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में बगीचा तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 995/III-22-3/2000/(Jashpur-Bagicha).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Jashpurnagar in addition to his place of sitting at Jashpurnagar declared shall also sit at Bagicha to dispose of Civil and Criminal Cases arising out of Bagicha Tahsil on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 997/तीन-22-3/2000 (जशपुर-कुनकुरी).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जशपुरनगर अपने घोषित कार्यस्थल जशपुरनगर के अतिरिक्त कुनकुरी में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में कुनकुरी तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 997/III-22-3/2000/(Jashpur-Kunkuri).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Ist Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate, Jashpurnagar in addition to his place of sitting at Jashpurnagar declared shall also sit at Kunkuri to dispose of Civil and Criminal Cases arising out of Kunkuri Tahsil on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 999/तीन-22-3/2000 (कवर्धा-पंडरिया).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, कवर्धा अपने घोषित कार्यस्थल कवर्धा के अतिरिक्त पंडरिया में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में पंडरिया तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 999/III-22-3/2000 (Kawardha-Pandariya).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Kawardha in addition to his place of sitting at Kawardha declared shall also sit at Pandariya to dispose of Civil and Criminal Cases arising out of Pandariya Tahsil on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 1001/तीन-22-3/2000 (अंबिकापुर-सीतापुर).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर अपने घोषित कार्यस्थल अंबिकापुर के अतिरिक्त सीतापुर में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सीतापुर तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 1001/III-22-3/2000 (Ambikapur-Sitapur).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the IInd Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Ambikapur in addition to his place of sitting at Ambikapur declared shall also sit at Sitapur to dispose of Civil and Criminal Cases arising out of Sitapur Tahsil on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 1003/तीन-22-3/2000 (कटघोरा-पाली).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, कटघोरा अपने घोषित कार्यस्थल कटघोरा के अतिरिक्त पाली में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में पाली तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 1003/III-22-3/2000 (Katghora-Pali).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Katghora in addition to his place of sitting at Katghora declared shall also sit at Pali to dispose of Civil and Criminal Cases arising out of Pali Tahsil on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 1005/तीन-22-3/2000 (राजनांदगांव-डोंगरगढ़).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव अपने घोषित कार्यस्थल राजनांदगांव के अतिरिक्त डोंगरगढ़ में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 1005/III-22-3/2000 (Rajnandgaon-Dongargarh).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the IInd Additional District and Sessions Judge, Rajnandgaon in addition to his place of sitting at Rajnandgaon declared shall also sit at Dongargarh to dispose of Civil and Criminal Cases arising out of Dongargarh Tahsil on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक -1007/तीन-22-3/2000 (कोरबा-करतला).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, कोरबा अपने घोषित कार्यस्थल कोरबा के अतिरिक्त करतला में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में करतला तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 1007/III-22-3/2000 (Korba-Kartala).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Korba in addition to his place of sitting at Korba declared shall also sit at Kartala to dispose of Civil and Criminal Cases arising out of Kartala Tahsil on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक -1009/तीन-22-3/2000 (रायगढ़-खरसिया).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, रायगढ़ अपने घोषित कार्यस्थल रायगढ़ के अतिरिक्त खरसिया में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में खरसिया तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 1009/III-22-3/2000 (Raigarh-Kharsiya).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the IInd Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Raigarh in addition to his place of sitting at Raigarh declared shall also sit at Kharsiya to dispose of Civil and Criminal Cases arising out of Kharsiya Tahsil on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक -1011/तीन-22-3/2000 (सक्ती-जैजैपुर).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, सक्ती अपने घोषित कार्यस्थल सक्ती के अतिरिक्त जैजैपुर में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में जैजैपुर तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 1011/III-22-3/2000 (Sakti-Jaijaipur).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Sakti in addition to his place of sitting at Sakti declared shall also sit at Jaijaipur to dispose of Civil and Criminal Cases arising out of Jaijaipur Tahsil on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 1013/तीन-22-3/2000 (जांजगीर-नवागढ़).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जांजगीर अपने घोषित कार्यस्थल जांजगीर के अतिरिक्त नवागढ़ में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में (शिवरीनारायण उप तहसील क्षेत्र को छोड़कर) नवागढ़ तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 1013/III-22-3/2000 (Janjgir-Navagarh).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the IInd Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Janjgir in addition to his place of sitting at Janjgir declared shall also sit at Navagarh to dispose of Civil and Criminal Cases arising out of Navagarh Tahsil (except Sheorinarayan Sub-Tahsil) on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 1015/तीन-22-3/2000 (कोण्डागांव-केशकाल).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, कोण्डागांव अपने घोषित कार्यस्थल कोण्डागांव के अतिरिक्त केशकाल में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में केशकाल तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 1015/III-22-3/2000 (Kondagaon-Keshkal).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class, Kondagaon in addition to his place of sitting at Kondagaon declared shall also sit at Keshkal to dispose of Civil and Criminal Cases arising out of Keshkal Tahsil on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 1017/तीन-22-3/2000 (जशपुरनगर-कुनकुरी).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुरनगर अपने घोषित कार्यस्थल जशपुरनगर के अतिरिक्त कुनकुरी में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में कुनकुरी तहसील एवं पत्थलगांव तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 8th February, 2007

No. 1017/III-22-3/2000 (Jashpurnagar-Kunkuri).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Additional District and Sessions Judge, Jashpurnagar in addition to his place of sitting at Jashpurnagar declared shall also sit at Kunkuri to dispose of Civil and Criminal Cases arising out of Kunkuri and Patthalgaon Tahsil on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 1019/तीन-22-3/2000 (बलौदाबाजार-बिलाईगढ़).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बलौदाबाजार अपने घोषित कार्यस्थल बलौदाबाजार के अतिरिक्त बिलाईगढ़ में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में बिलाईगढ़ एवं भटगांव उप तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठेंगे.

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 1019/III-22-3/2000 (Balodabazar-Bilaigarh).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class, Baloda Bazar in addition to his place of sitting at Baloda Bazar declared shall also sit at Bilaigarh to dispose of Civil and Criminal Cases arising out of Bilaigarh and Bhatgaon Sub-Tahsil on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 1021/तीन-22-3/2000 (सक्ती-डभरा).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक 537/तीन-22-3/2000 (सक्ती-डभरा), दिनांक 22-1-2007 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में उल्लेखित शब्द 'मालखरौदा' विलोपित किया जाता है.

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 1021/III-22-3/2000 (Sakti-Dabhra).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby make the following amendment in its Notification No. 537/III-22-3/2000 (Sakti-Dabhra) dated 22-1-2007, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification mentioned word 'Malkharoda' is omitted.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 1023/तीन-10-8/2000-भाग-4.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा अपने अधिसूचना क्रमांक 4671/तीन-10-8/2000 भाग-4 दिनांक 28 सितम्बर 2006 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के उक्त सारणी में अनुक्रमांक 7, 14 एवं 15 तथा उससे संबंधित स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्थापित की जावे, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सत्र न्यायालय (2)	बैठने का स्थान/स्थानों (3)
7	जशपुर	1. जशपुर 2. कुनकुरी
14	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. खैरागढ़ 3. डोंगरगढ़
15	सरगुजा (अंबिकापुर)	1. अंबिकापुर 2. सूरजपुर 3. रामानुजगंज 4. प्रतापपुर

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 1023/III-10-8/2000-Part-IV.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court, Chhattisgarh hereby amends its Notification No. 4671/III-10-8/2000 (Pt-IV), dated 28th September 2006 as under, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification in the table for Serial No. 7, 14 & 15 and further existing entries relating there to as shown in Column No. (3) the following entries be substituted, namely :-

TABLE

Serial No. (1)	Court of Sessions (2)	Ordinary Place/Places of Sitting (3)
7	Jashpur	1. Jashpur 2. Kunkuri

(1)	(2)	(3)
14	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh 3. Dongargarh
15	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur 2. Surajpur 3. Ramanujganj 4. Pratappur

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 1025/तीन-10-8/2000-भाग-4.— छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्र. 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा अपने अधिसूचना क्रमांक 4670/तीन-10-8/2000 भाग-4 दिनांक 28 सितम्बर 2006 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के उक्त सारणी में अनुक्रमांक 12 तथा उससे संबंधित स्तम्भ क्रमांक (3) व (4) में वर्णित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्थापित की जावे, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय	
		बैठने का स्थान/स्थानों	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
12	रायगढ़	1. रायगढ़	1
		2. सारंगढ़	1

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 1025/III-10-8/2000-(Part-IV).— In exercise of the powers conferred by Sub- section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court, Chhattisgarh hereby make the following amendment in its Notification No. 4670/III-10-8/2000 (Pt-IV), dated 28th September 2006 as under, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification in the table for Serial No. 12 and further existing entries relating thereto as shown in Column No. (3) & (4) the following entries be substituted, namely :-

TABLE

Serial No.	Name of the Civil District	Court of Additional District Judge	
		Place of sitting	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Raigarh	1. Raigarh 2. Sarangarh	1 1

Bilaspur, the 12th February 2007

No. 98/ConfdlL/2007/II-1-1/2007.— It is hereby notified that pursuant to Notification No. K-13030/1/2006-U.S.II dated 6th February 2007 of Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Handyala Lakshminarayanaswamy Dattu, Judge of Karnataka High Court has assumed charge of the office of Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur in the forenoon of 12th February, 2007.

Bilaspur, the 13th February 2007

No. 100/Confdl./2007/II-2-1/2007.— The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and ;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No.	Name & presently posted as	From	To	Sessions Division	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Vijendra Nath Pandey, II Additional District & Sessions Judge.	Raigarh	Sarangarh	Raigarh	Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 14th February 2007

No. 103/Confdl./2007/II-3-14/2007.— On the application of Ku. Vinita Lawang, Civil Judge Class-I, Baloda-Bazar, for change of her name, she is, hereby, permitted to change her name as "Smt. Vinita Warner". It is directed that necessary changes be effected in all her records.

Bilaspur, the 15th February 2007

No. 106/Confdl./2007/II-2-90/2001(Pt.II).— The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are appointed in the capacity as mentioned in Column No. (3) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No.	Name & presently posted as	Appointed as
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Gulam Minhajuddin District & Sessions Judge, Bilaspur.	Director, Judicial Officers' Training Institute, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.
2.	Shri Radheshyam Sharma, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa.	Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.
3.	Shri Nirmal Minj, II Additional District & Sessions Judge, Rajnandgaon.	Additional Director, Judicial Officers' Training Institute, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.

Bilaspur, the 19th February, 2007

No. 108/Confdl./2007/II-2-1/2007.— The following Members of Higher Judicial Service, mentioned in Column No. (2), are hereby appointed as Officiating District & Sessions Judges for the Civil Districts mentioned in Column No. (3) until further orders in addition to their present assignment and as soon as the regular District & Sessions Judges are appointed for the concerned Civil District, they shall revert to their original post :-

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Civil District (3)
1.	Shri Mahendra Rathore, Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Bilaspur.	Bilaspur
2.	Shri Sewak Ram Banjare, I Additional District & Sessions Judge, Janjgir-Champa.	Janjgir-Champa

Bilaspur, the 19th February 2007

No. 110/Confdl./2007/II-2-90/2001(Pt.II).— In continuation of High Court Registry Order No. 106/Confdl./2007/II-2-90/2001 (Pt.II), dated 15th February, 2007, it is hereby directed that Shri Radheshyam Sharma, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa, who has been appointed as Registrar (Vegilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur and Shri Nirmal Minj, II Additional District & Sessions Judge, Rajnandgaon, who has been appointed as Additional Director, Judicial Officers' Training Institute, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, shall assume charges of their new assignment by 26th February, 2007.

Bilaspur, the 22nd February 2007

No. 123/Confdl./2007/II-2-99/2001.—On the application dated 22-01-2007 of Shri Ganesh Ram Sande, IV Additional District & Sessions Judge (F. T. C.), Raigarh requesting for change of his home District, Permission is hereby accorded to change his home District from Bilaspur to Janjgir-Champa with a direction that necessary changes be effected in all his records.

Bilaspur, the 23rd February, 2007

No. 134/Confdl./2007/II-2-1/2007.— The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office : and ;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Rajeshwar Lal Jhanwar, presently posted on deputation as Registrar (Inspection & Enquiry) High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Prabhat Kumar Shastri, presently posted on deputation as President, District Consumer Disputes Redressal Forum.	Durg	Janjgir	Janjgir-Champa	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 26th February, 2007

No. 141/Confdl./2007/II-2-90/2001 (Pt. II) .— Shri Radha Kishan Agrawal, Additional Director, Judicial Officers Training Institute, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is appointed as Officer-on-Special Duty, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur with immediate effect until further orders.

Bilaspur, the 2nd March, 2007

No. 166/Confdl/2007/II-15-21/2000 (Pt.-IV) .— The following Additional District Judge, as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and ;

The following Additional District Judge is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently Posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Bhisma Prasad Pandey, III Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Surajpur	Pratappur	Surguja	Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)

By order of the Hon'ble High Court,
HEERA SINGH MARKAM Registrar General.

Bilaspur, the 9th February 2007

No. 379/J.O.T.I./2007/II-15-66/2001 (Pt.-II) .— The following newly appointed Civil Judges Class-II as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Judicial Officers, Training Institute (J.O.T.I.), High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 18-02-2007 in the afternoon and before 5 P. M. for undergoing the IIIrd Part of Institutional Training Programme to be held from 19th February 2007 to 24th February 2007 at Judicial Officers Training Institute.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	Posted as & at (3)
1.	Ku. Nidhi Sharma	Civil Judge Class-II, Kawardha
2.	Smt. Mamta Shukla	I Civil Judge Class-II, Mahasamund

(1)	(2)	(3)
3.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Sr.)	II Civil Judge Class-II, Ambikapur
4.	Smt. Tajeshwari Devi Dewangan	I Civil Judge Class-II, Janjgir-Champa
5.	Shri Pankaj Kumar Sharma	Civil Judge Class-II, Korba
6.	Shri Deepak Kumar Gupta	I Civil Judge Class-II, Raipur
7.	Shri Sunil Kumar Nande	II Civil Judge Class-II, Raigarh
8.	Shri Manoj Kumar Singh Thakur	III Civil Judge Class-II, Raipur
9.	Shri Avinash Tiwari	IV Civil Judge Class-II, Raipur
10.	Smt. Mamta Patel	III Civil Judge Class-II, Bilaspur
11.	Shri Prashant Kumar Shivhare	I Civil Judge Class-II, Jagdalpur
12.	Shri Ajay Singh Rajput	III Civil Judge Class-II, Jagdalpur
13.	Ku. Heemanshu Jain	I Civil Judge Class-II, Dhamtari
14.	Shri Anish Dubey	VII Civil Judge Class-II, Bilaspur
15.	Shri Satyendra Kumar Mishra	I Civil Judge Class-II, Durg
16.	Shri Shahabuddin Qureshi	II Civil Judge Class-II, Dhamtari
17.	Shri Rakesh Kumar Verma	Civil Judge Class-II, Gariaband
18.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Jr.)	Civil Judge Class-II, Pendra Road
19.	Shri Aditya Joshi	Civil Judge Class-II, Manendragarh
20.	Shri Ashish Pathak	II Civil Judge Class-II, Mahasamund
21.	Smt. Kiran Rathi	III Civil Judge Class-II, Raigarh
22.	Shri Bhanu Pratap Singh Tyagi	Civil Judge Class-II, Khairagarh
23.	Ku. Pallavi Parashar	Civil Judge Class-II, Sakti
24.	Ku. Neeru Singh	II Civil Judge Class-II, Durg
25.	Smt. Urmila Gupta	I Civil Judge Class-II, Ambikapur
26.	Shri Balaram Sahu	XI Civil Judge Class-II, Raipur
27.	Shri Dilesh Kumar Yadav	Civil Judge Class-II, Surajpur
28.	Shri Atul Kumar Shrivastava	VIII Civil Judge Class-II, Bilaspur
29.	Shri Lavakesh Pratap Singh Baghel	III Civil Judge Class-II, Durg
30.	Shri Anand Prakash Wariyal	VI Civil Judge Class-II, Raipur
31.	Shri Shailesh Achyut Patwardhan	V Civil Judge Class-II, Raipur

(1)	(2)	(3)
32.	Shri Siddharth Aggrawal	I Civil Judge Class-II, Sanjari Balod
33.	Shri Chandra Kumar Kashyap	IV Civil Judge Class-II, Durg
34.	Shri Shrikant Shrivas	V Civil Judge Class-II, Jagdalpur
35.	Shri Vivek Kumar Verma	II Civil Judge Class-II, Dantewara
36.	Smt. Priya Rao	XII Civil Judge Class-II, Raipur
37.	Shri Vijay Kumar Sahu	Civil Judge Class-II, Jashpur
38.	Shri Ashwani Kumar Chaturvedi	II Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
39.	Ku. Pooja Mehar	VI Civil Judge Class-II, Jagdalpur
40.	Shri Leeladharsai Yadaw	V Civil Judge Class-II, Ambikapur
41.	Shri Madhusudhan Chandrakar	Civil Judge Class-II, Dongargarh
42.	Ku. Pratibha Verma	II Civil Judge Class-II, Sanjari Balod
43.	Shri Kamlesh Jagdalla	VII Civil Judge Class-II, Durg
44.	Shri Venseslas Toppo	IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur
45.	Shri Prabhakar Gwal	II Civil Judge Class-II, Bemetara

The Abovementioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code (without band) prescribed by the High Court during the traning period, but male Judges shall wear tie, and trainee Judges shall bring with them the following books :-

(K) Code of Civil Procedure
(L) Code of Criminal Procedure
(M) Evidence Act
(N) Limitation Act
(O) Indian Penal Code
(P) Rules & Orders-Civil & Criminal
(Q) Stamp & Court Fees Act
(R) Arms Act
(S) C. G. Excise Act
(T) Legal Services Authority Act, 1987 (with C. G. Rules)

By order of Hon'ble the Chief Justice,
R. L. JHANWAR, Registrar (I & E).